nature of the work, but certainly on the question of minimum wages, it must be made the same, and where the nature of the job is the same, certainly equal wages should be paid.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That the Bill to introduce equal pay for equal work for women workers be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th September, 1959."

The motion was negatived.

16.02 hrs.

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

(*Omission of sections* 107, 109 *and* 110 *and amendment of section* 161) *by Shri Jagdish Awasthi.*

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं

> "That the Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898 be taken into consideration."

यदि इस विधेयक को देखा जाए तो इसमें स्पष्ट है कि धारा १०७, १०९ और ११० जिस प्रकार से इस कानूनी पुस्तक में रक्खी गई है, उन की शब्दावली से मालूम होता है कि किसी भी व्यक्ति को जिसने अपराध सचमुच किया नहीं, लेकिन करने की आकांक्षा है या उस पर इस प्रकार का शक है, तो उसे दण्डित किया जा सकता है। आप धारा १०७ को लें। इस धारा १०७ में जो शब्दावली है, उस से केवल एक ही बात स्पष्ट होती है कि ऐसे व्यक्ति को जिसकी तरफ से यह आशंका हो कि शान्ति भंग होने की सम्भावना है, उस व्यक्ति को पुलिस या राज्य गिरफ्तार कर सकता है, जेल में भेज सकता है और मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करके उस को दण्ड दिलाया जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप सारी विश्व की दण्ड व्यवस्था को देखें तो इस दण्ड व्यवस्था में एक ही सिद्धान्त है और वह यह कि जब तक कोई मनुष्य अपराध न करता हो तब तक उसे आप दण्ड नहीं दे सकते हैं। कल्पना कीजिये कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पीट दे, उस को मार दे, या सशस्त्र हमला कर दे तब राज्य का कर्तव्य है कि उनके बीच में वह दखल दे और जो दोषी व्यक्ति है उसे पकड़ कर दंड दिया जाय। अगर आप इस सारे दण्ड पर इस धारा को देखें तो कहीं इस में इस बात का जिक्र नहीं है कि कोई व्यक्ति जब अपराध करता है तभी उसे दंडित किया जाय। इसमें स्पष्ट है कि केवल आशंका से आप उसे दंडित कर सकते हैं। मैं समझता हूं इस स्वतन्त्र भारत में जो हमारी दण्ड व्यवस्था होनी चाहिये उसमें यह सिद्धान्त हर व्यवहार में लागू होना चाहिये कि जब तक कोई व्यक्ति अपराध न करे, उसे दण्डित न किया जाय। लेकिन धारा १०७ इस सिद्धांत के विपरीत है। इसलिये इस सिद्धान्त की दृष्टि से इस धारा १०७ का हमारी कानूनी पुस्तक में रहना आवश्यक नहीं है। इस दृष्टि से भी मैं यह कहता हूं कि अगर हम अपने भारतीय संविधान को देखें, तो उसमें भी यह लिखा हुआ है और उस में इस बात की गारण्टी दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को लिखने पढ़ने की और बोलने की आजादी है। इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन धारा १०७ को अगर आप देखें, उसकी शब्दावली को अगर आप देखें तो उसमें आज भी ऐसा हो रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से राज्य के लिये आशंका है, उस के भाषण देने से राज्य को खतरा है तो उस व्यक्ति को इस धारा में गिरफ्तार किया जा सकता है। यह केवल किया ही नहीं जा सकता है बल्कि सचमुच ही व्यवहार में ऐसा हो भी रहा है। एक

[श्री जगदीश अवस्थी]

नि:शस्त्र व्यक्ति अगर वाणी से अपनी कोई बात कहता है तो फिर जब तक वह सशस्त्र क्रान्ति न कर दे, जब तक राज्य को सचमुच कोई हानि न पहुचा दे तब तक आप किस प्रकार से उस पर यह आरोप लगा सकते है कि उससे राज्य को सचमुच बहुत बडा खतरा पैदा हो गया है ? हमारा संविधान स्पष्ट कहता है कि जब तक सविधान की धारा मौजूद है तब तक आप धारा १०७ को लागू करके एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता को आघात पहुंचाते है । इसलिये यदि आप अपने सविधान की मूल आत्मा को देखे तो उस मूल आत्मा मे स्पष्ट है कि हमारे कानून मे कोई ऐसी धारा नही होनी चाहिये जो हमारे सविधान को इस धारा को अपमानित करती हो । आज जिस रूप मे इस धारा १०७ का प्रयोग होता है वह निश्चित रूप से बहुत ही खराब है । जब कभी देश के अन्दर जन आन्दोलन चलते रहे है, उन जन आन्दोलनो मे जिस प्रकार इसका प्रयोग हुआ है पिछले १२ वर्षों मे, वह इतिहास वास्तव मे बडा दुखद और बडा ही घृणाजन्य है । जिस प्रकार से पिछली मर्तबा मैंने सदन मे दफा १४४ का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कई उदाहरण उपस्थित किये थे, उसी प्रकार से इसके भी कई उदाहरण पेश किये जा सकते है कि किस प्रकार से विभिन्न राज्यो मे इस धारा १०७ का मनमाने ढग से दुरुपयोग हो रहा है । अगर मे इस के बहुत से उदाहरण दूगा तो सदन का बहुत समय लग जायेगा, लेकिन फिर भी मैं दो एक उदाहरण देना आवश्यक समझता हू कि आज प्रदेशो में पुलिस किस प्रकार से इसका प्रयोग कर रही है । राजस्थान मे एक आन्दोलन चला और उस आन्दोलन मे बहुत से लोग गिरफ्तार किये गये । मध्य प्रदेश के एक सोशलिस्ट पार्टी के नेता जब राजस्थान में गये तो उन के साथ धारा १०७ का प्रयोग किया गया । उनका नाम श्री लाडली मोहन निगम था । उनके साथ किस प्रकार से इस धारा के अन्तर्गत दुर्व्यवहार किया गया यह मै सदन के सम्मुख रखना चाहता हू । इस से इसका दुरुपयोग स्पष्ट हो जायेगा ।

"श्री लाडली मोहन निगम राजस्थान सत्याग्रह के सिलसिले मे बांसवाड़ा गये हुए थे । वहा पुलिस ने उन्हे जाते ही १०७ दफा में पकड़ लिया । एक दूसरी दफा में उन्हें १५ दिन की सजा हो गयी । पुलिस ने कानून का पूरे राजस्थान में गला घोटा । मजिस्टरी व पुलिस का नीच व घृणित गठबन्धन जितना राजस्थान मे है उतना और कहीं नही है । सत्याग्रहियो को पुलिस ने पीटा व उनकी औरतो के साथ दुर्व्यवहार किया । लाडली जी को पुलिस ने मारा तो नही लेकिन उनको तकलीफ खूब दी । गालिया सुनाईं । खाने को बहुत बुरी रोटिया दी गईं । उनको अपना झोला व बिस्तर भी नही दिया गया । बडी गन्दी जगह मे इन्हे रखा गया । एक वकील ने, जिसका नाम श्रीपत है और जो जनसघी है, जब लाडली जी की तरफ से वकालत नामा पेश किया तो इसके बाद पुलिस ने इस वकील को मारा व उसे पिस्तौल दिखाई ।

मजिस्टर ने लाडली जी को १००० रु० की जमानत पर १००० रु० का मुचलका देने को कहा, नही तो इसके बदले में १ साल की सजा मिलेगी । जितने भी जमानतदार लाडली जी को छुड़ाने गये, उन सबको पुलिस ने १०७ में बन्द कर दिया । यहां तक कि जब नीमच के कामरेड एडवोकेट डूगरवाल कामरेड मधु की पैरवी करके लाडली जी की तरफ से पैरवी करने बांसवाडा गये तो उन्हें भी जेल भेज दिया गया । बड़ी मुश्किल से वकील साहब छूटे ।"

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने कहां से इस को पढ़ा है ?

श्री जगदीश अवस्थी : मैंने एक पत्रिका है उससे उदाहरण दिया है, यदि आप चाहें तो मैं सदन की मेज पर इसे रख सकता हूं।

इस घटना से स्पष्ट है कि दफा १०७ का पुलिस द्वारा किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश जहां से कि मैं आता हूं और वहां की हालत से भली भांति परिचित हूं, अगर यह कहूं कि उत्तर प्रदेश में इन पिछले ११–१२ सालों में जनतन्त्र नहीं चल रहा है बल्कि पुलिस राज कायम है तो इसमें कोई अतियुक्ति नहीं होगी। यह देखने में आया है कि जब कभी उत्तर प्रदेश में विरोधी पार्टियों द्वारा कोई आन्दोलन चलाया जाता है, और जो कि शांतिपूर्ण होते हैं तो वहां की राज्य सरकार और वहां की पुलिस भिन्न भिन्न जिलों में जो भी इस तरह के अहिंसात्मक और शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलते हैं, उनको पूरी तरह कुचलने के लिये और जो भी आवाज वहां के शासन के खिलाफ उठे उसे पूर्ण रूप से बन्द करने के लिये इस १०७ दफा का आश्रय लिया जाता है और इस दफा के अधीन तमाम अपने राजनैतिक विरोधियों को चुन चुन कर बन्द कर दिया जाता है।

मेरे मित्र श्री प्रभु नारायण सिंह यहां पर बैठे हुए हैं और मैं आशा करता हूं कि इस सदन को उनकी जबानी वह तमाम वाकयात सुनने को मिलेंगे जो कि स्वयं उनके साथ उत्तर प्रदेश में घटित हुए। सन् १९५७ में जब उत्तर प्रदेश के अन्दर से विदेशी मूर्तियों को हटाने का आन्दोलन चला तो उनको इस १०७ दफा के मातहत गिरफ्तार कर लिया गया और वे खुद बतलायेंगे कि हाईकोर्ट ने किस प्रकार उनको छोड़ा। अभी जो उत्तर प्रदेश में खाद्य आन्दोलन चला उसमें भी वे पुनः इसी दफा के अन्दर गिरफ्तार किये गये और किस प्रकार से वह हाईकोर्ट से छूटे।

उत्तर प्रदेश में सन १९५७ के चुनावों के पश्चात् जब कि शासक दल बहुत जगह हारा तो जिन लोगों ने कांग्रेस को हराने में कोशिश की थी, योग दिया था और कांग्रेस के मुकाबिले विरोधी पक्षों के उम्मीदवारों को जिताया था, उन लोगों के विरुद्ध भी पुलिस ने मनमाने ढंग से धारा १०७ का दुरुपयोग किया। कानपुर जिले से जहां का कि प्रतिनिधित्व करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है, वहां का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे कानपुर में पाली नाम का एक गांव है जहां पर कि एक बहुत ही इज्जतदार और सम्भ्रान्त व्यक्ति हमारे जिले के ठाकुर नयनसिंह रहते हैं जो कि दस वर्ष तक निरन्तर जिला बोर्ड के चेयरमैन रहे और चुनाव के समय उन्होंने हम लोगों का साथ दिया। जब चुनावों में वहां से विधान सभा की सीट के लिये कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार पराजित हो गया तो उन पराजित महानुभाव ने जिला कलक्टर से मिल कर, हालांकि पुलिस ने इसके बारे में कोई खिलाफ रिपोर्ट नहीं की थी तो भी एक किसी रिपोर्ट के नाम पर उनके ऊपर १०७ का नोटिस तामील करवा दिया और लगातार ६ महीने तक उनको धारा १०७ के अन्तर्गत कचहरी में आना पड़ा। अब जब एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के विरुद्ध जो कि शान्तिपूर्ण है और जिनमें कि शान्ति के भंग होने की कोई आशंका नहीं है, उनके विरुद्ध जब इस दफा १०७ का प्रयोग कर दिया जाता है तब और लोगों की तो बात ही क्या पूछना। मैं एक नहीं अनेक इस सम्बन्ध में सदन के सामने उदाहरण पेश कर सकता हूं जिसमें १०७ दफा का इस तरह नाजायज तौर पर इस्तेमाल किया गया और जिसका कि उद्देश्य महज अपने राजनैतिक विरोधियों का दमन करना और उनका मुंह बन्द करना है।

इसी तरह हमारे पार्टी के मन्त्री जो कि पिछले चुनाव में कुछ ही वोटों से निर्वाचित होने से रह गये तो कांग्रेस वालों ने अपनी खार मिटाने के लिये उनके विरुद्ध इस धारा का प्रयोग करवाया। आज भी अगर आप देखें तो पायेंगे कि इस प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनके

[श्री जगदीश अवस्थी]

विरुद्ध इस दफा १०७ का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान ने जो लोगों को मौलिक अधिकार दिये है उनका प्रयोग करने से आप अपने से विरोधी विचार रखने वालो को वंचित रखते है। आप धड़ल्ले से उनके विरुद्ध दफा १०७ का प्रयोग कर रहे है। ऐसे समाजसेवी लोग जिनको कि जनता चुन कर भेजती है आप उनको शान्ति भंग होने के अंदेशे के नाम पर पकड़ कर बन्द कर देते है और इस प्रकार वे संविधान में जो अधिकार उनको प्राप्त है उनका उपयोग करने से वह वंचित रह जाते है। उत्तर प्रदेश मे जिससे कि मेरा सम्बन्ध है, वहा की मजिस्ट्रेसी और पुलिस मिल कर धारा १०७ का प्रयोग करती है। मैं तो समझता हू कि शायद गुलाम भारत में भी हमारे उत्तर प्रदेश में इस दफा १०७ का उतना प्रयोग नहीं होता था जितना कि भारत स्वाधीन होने के समय से हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश मे शायद ही कोई ऐसा जिला बाकी बचा होगा जहा कि इस धारा १०७ का प्रयोग करके लोगो को सालो कचहरियो मे न दौड़ाया जाता हो। यहा तक भी देखा गया है कि पुलिस कुछ लोगो के खिलाफ रिपोर्ट करती है कि इनसे राज्य की शान्ति भंग होने का अंदेशा है और कभी कभी जब मजिस्ट्रेट्स के यहा दोनो तरफ के लोगो को बुलवा कर सुन लिया जाता है और दोनो पक्ष के लोग यदि समझौता भी कर लेते है तब भी पुलिस उनको रिपोर्ट नही देती है और इनको परेशान किया जाता है और वे बेचारे सुबह से शाम तक ४०, ४० का गोल बाध कर हेड क्वार्टर मे आते है और शाम के वक्त कह दिया जाता है कि पेशी बढ़ गई। इस तरह से उनके समय को बर्बाद किया जाता है और परेशान किया जाता है।

मेरे अपने क्षेत्र के एक व्यक्ति के विरुद्ध जिसका कि पैर लंगड़ा था इस १०७ का प्रयोग किया गया और उसको परेशान करने के लिये उसके मुकदमे की सुनवाई की तारीख बढ़ा दी जाती थी। अन्त में एक दिन वह मुझे मिला तो मैंने उससे कहा कि तुम मजिस्ट्रेट महोदय से कह दो कि अगर मुझ से राज्य की शान्ति भंग होने का अंदेशा है तो मुझे भले ही जेल भेज दीजिये या पुलिस से आप कहिये कि वह सबूत पेश करे। लेकिन उसके साथ होता यह था कि सबूत के अभाव में तारीख बढ़ा दी जाती थी और उसको व्यर्थ में परेशान किया जाता था। जब मजिस्ट्रेट से उसने यह बात कही तब चूंकि उसके विरुद्ध कोई पुलिस ने सबूत फराहम नहीं किया था इसलिये उसको १०७ की दफा से मुक्त कर दिया।

उत्तर प्रदेश और खास करके कानपुर में जैसा मैंने निवेदन किया वहा की मजिस्ट्रेसी और पुलिस द्वारा मिल कर निर्दोष और शान्तिप्रिय व्यक्तियों को परेशान करने की दृष्टि से धारा १०७ मे उनको बाध दिया जाता है और उसका दुरुपयोग किया जाता है। इसलिये मै चाहता हू कि अब समय आ गया है जबकि इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक सोचा जाय और यह न भुला दिया जाय कि अब तो हमारा भारत स्वाधीन हो गया है और भारतीय संविधान के रहते इस प्रकार की धाराओ का हमारे कानून मे रहना गलत है और अनुचित है। हमे इस बात का व्यवस्था कर देनी है कि अब तो कम से कम जो शान्तिप्रिय व्यक्ति है और जिनसे कि राज्य की शान्ति का कोई खतरा नही है अलबत्ता जो कि शासक दल से भिन्न और विरोधी विचार रखते है, उनके विरुद्ध इस दफा १०७ आदि का दुरुपयोग न किया जाय।

मेरे विधेयक मे दफा १०९, ११० को भी कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड से ओमिट करने की मांग की गई है। मैं समझता हू कि इतना व्यापक झूठ शायद कभी नही बोला जाता है जितना दफा १०९ मे बोला जाता है और जिसका कि प्रयोग लोगो के विरुद्ध कार्यवाही करने में पुलिस द्वारा किया जाता है। मेरा तो सदा से विश्वास है कि दफा १०९ के अलावा विभिन्न राज्यों के आकड़े

इकट्ठे किये जायं और उन अभियोग पत्रों को जिनके कि आधार पर लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है इकट्ठे किये जायें वह तो एक मनगढ़न्त कहानी का बड़ा पोथा बन सकता है। वैसे दफा १०९ की शब्दावली बहुत थोड़ी है लेकिन सब कोई जानते हैं कि उसका प्रयोग कितने भीषण और गलत ढंग से होता है। हाई कोर्ट्स तक तो मुकदमे पहुंच ही नहीं पाते हैं और लोअर कार्ट्स से जिनको सजा हो जाती है और जिनके कि विरुद्ध अपीलों की जब सुनवाई होता है और उनके सम्बन्ध में जो न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट्स लोग निर्णय देते हैं उनको अगर आप देखें तो उनसे आपकी आखें खुल जायेंगी। मैं समझता हूं कि इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों का इस १०९ दफा का जाती तजुर्बा होगा। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे इसका स्वय जाती अनुभव नहीं है, लेकिन जिनको कि इससे साबका पड़ा है वे खूब जानते हैं कि किस प्रकार से इसका दुरुपयोग पुलिस भीषण रूप से करती है। इस दफा की शब्दावली अगर आप देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस देश की कई करोड़ जनसंख्या ऐसी है जिनके कि पास न रहने को मकान है और न खाने को ही पर्याप्त भोजन मिल पाता है। जीविका का उनके पास कोई समुचित साधन नहीं है और मेरी समझ में धारा १०९ का प्रयोग उन्हीं लोगों पर किया जाता है। हम गरीब हैं, हम दुखी दरिद्र हैं इसका यह मतलब नहीं है कि धारा १०९ को रख कर इस दुखी और गरीब देश को अपमानित किया जाय।

आप धारा १०९ को इसलिये रखते हैं ताकि वाकई वे जो अपराधी व्यक्ति हो उनको इस के अधीन दंडित किया जाय लेकिन मैं अपने माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सचमुच धारा १०९ में जो व्यक्ति चालान किये जाते हैं क्या वे वास्तव में चोर और बदमाश होते हैं? आप इस बात को देखें कि जो व्यक्ति १०९ में गिरफ्तार होते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाते हैं वह कहीं गिरफ्तार किये जाते हैं, लेकिन चार्जशीट में यह लिखा जाता है कि चार आदमी अमुक स्थान पर जा रहे थे, उनमें से एक दो आदमी के पास मोमबत्ती, दियासलाई और लोहे की छड़ थी और वह सेंध लगाने जा रहे थे। उसी समय पुलिस के आदमी आ गए और उन चार आदमियों में से तीन भाग गए और एक आदमी को पकड़ लिया। इस प्रकार के अभियोग पत्र रखे जाते हैं। और जो व्यक्ति पकड़ा जाता है वह गरीब और साधनहीन होता। उसके पास वकील करने का साधन नहीं होता और न वह अपने पक्ष में गवाह ला सकता है। पुलिस वाले उसको लालच देते हैं कि अगर तुम अपना अपराध स्वीकार कर लोगे तो तुम को छोड़ दिया जाएगा और वह स्वीकार कर लेता है। परिणाम यह होता है कि छोटी अदालत में शायद ही कोई ऐसा केस होता हो जिसमें एक साल की सजा न ठोक दी जाती हो और उसको जेल में न भेज दिया जाता हो। अगर हिन्दुस्तान की जेलों की दीवारों के आंख, कान और मुह होते तो वे इन बातों को ठीक तरह से बयान कर सकती। मैं इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि शायद उत्तर प्रदेश में ही इस धारा १०९ के अन्तर्गत ५-६ हजार के बीच व्यक्ति जेलों में होंगे और सारे देश में २० या २५ हजार व्यक्ति इस धारा के अन्तर्गत जेलों में होंगे। और जो व्यक्ति एक बार इस धारा से जेल चला जाता है उसको छूटने पर पुलिस वाले फिर बन्द करवा देते हैं। कभी कभी तो यह देखा जाता है कि इधर वह जेल से छूटता है और उधर पुलिस उसको पकड़ लेती है। और फिर उसको सजा कर दी जाती है।

मजिस्ट्रेटों की यह दशा है कि वही मोमबत्ती, दियासलाई और लोहे की छड़ जो एक मुकद्दमे में पेश की जाती है उसी को दूसरे मुकदमों में भी एग्जिबिट कर दिया जाता है। इस तरह की बहुत सी दिलचस्प बातें इस

[श्री जगदीश अवस्थी]

धारा के केसों में होती है जिनसे माननीय सदस्य परिचित होंगे । इसमें शक नहीं कि इस प्रकार न्याय की हत्या की जाती है । मैं तो यह मानता हूं कि यदि किसी को दण्ड भी मिलता है तो उसको नियम के अनुसार मिलना चाहिए । यदि कोई एक भी निर्दोष व्यक्ति दण्ड पाता है तो यह सरकार और न्याय व्यवस्था के लिये कलंक की बात है । लेकिन धारा १०९ को इस रूप में प्रयोग करके बड़ा ही निन्दनीय कार्य हो रहा है ।

और इस बात को केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं । हमारे बहुत से न्यायाधीशों ने जो इस सम्बन्ध में निर्णय दिये हैं वे आंख खोलने वाले हैं । मैं खुद सदन के सामने

उपाध्यक्ष महोदय अभी माननीय सदस्य दफा १०९ तक ही पहुंचे हैं अभी ११० और १६१ बाकी हैं ।

श्री जगदीश अवस्थी उन पर बहुत थोड़ा कहना है । सबसे दिलचस्प धारा यही है ।

उपाध्यक्ष महोदय ११० इसमें भी ज्यादा दिलचस्प है ।

श्री जगदीश अवस्थी उसमें तो यह साबित करना पड़ता है कि यह आदमी है बिचुअल है, उसके खिलाफ रिपोर्ट होनी चाहिये । लेकिन इस दफा में तो किसी रिपोर्ट की जरूरत भी नहीं होती । इसलिये यह बहुत दिलचस्प है ।

उपाध्यक्ष महोदय दिलचस्प बनाना या न बनाना तो आपके वश में है ।

श्री जगदीश अवस्थी मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा ।

अभी सन् १९५६ में कानपुर नगर और जिले में इस दफा का बड़ा भीषण दुरुपयोग हुआ और वहां के न्यायाधीश ने इस दफा के सम्बन्ध में कई निर्णय दिये हैं । एक व्यक्ति बाबूलाल की अपील स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने निम्नस्थ मजिस्ट्रेट की कटु आलोचना की है और कहा है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट ने निर्णय में लापरवाही की है । उनका निर्णय संक्षिप्त और स्पष्ट है । न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया है कि उनके निर्णय की एक प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट को भेज दी जाए ताकि वे उचित कार्रवाई कर सकें । यह निर्णय स्थानीय समाचार पत्र में छपा था । उसमें कहा गया था .

"अपील कर्ता बाबूलाल को भारतीय दंड विधान की धारा १०९ के अन्तर्गत २५० रुपये का जाती मुचलका तथा इतनी ही रकमों की दो जमानतें ६ माह की नेक-चलनी के आश्वासन के साथ दाखिल करने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया था ।

विद्वान् न्यायाधीश ने निर्णय में लिखा है कि अभियुक्त के विरुद्ध यह मामला था कि उसने ४ और ५ सितम्बर, १९५५ के मध्य की रात्रि को प्रातः २ बजे के लगभग गांधी नगर (सीसामऊ) क्षेत्र में कुछ अपराध करने की नीयत से देख भाल कर रहा था।

१२ अक्तूबर, १९५५ को अभियुक्त को जो नोटिस मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया था उस में यह वर्णित नहीं था कि किस समय और स्थान पर अपीलकर्ता अपने को छिपाने के उद्देश्य से कार्यवाही कर रहा था। नोटिस में इन पूर्तियों का स्थान बिना कुछ लिखे खाली छोड़ दिया गया है ।

इस कारण नोटिस स्पष्टतया अस्पष्ट एवं अर्थहीन था । जब अपीलकर्ता के बयान लिये गये तब भी उसे नहीं बताया गया कि किस दिन और किस समय पर वह अपराध करने की गरज से अपने को छिपाने की कोशिश कर रहा था । इन पूर्तियों का स्थान रिक्त छोड़ दिया गया है । यह बहुत गम्भीर बात है और यह प्रकट करती है कि कुछ मजिस्ट्रेट

धारा १०९ के मामलों के विचार के समय उस पर उचित ध्यान नहीं देते ।

अपीलकर्ता के पास से चोरी का कोई सामान बरामद नहीं हुआ है । साक्षी पक्ष के अनुसार उस के पास केवल एक दियासलाई और मोमबत्ती निकली थी । इन से यह स्पष्ट नहीं होता कि वह यह चीजे चोरी करने के ही उद्देश्य से अपने पास रखे था । विद्वान् मजिस्ट्रेट का निर्णय संक्षिप्त एव अस्पष्ट है । साक्षियों के बयान न तो दर्ज किये गये हैं और न विद्वान् मजिस्ट्रेट ने उन की समीक्षा ही की है । उन्होंने केवल यही कहा है कि गवाहों ने साक्षी पक्ष की बाते पुष्ट की हैं । उन्होंने क्या कहा था यह लिखा होना चाहिये था ।"

सत्र न्यायाधीश ने इन अनियमितताओं के कारण अभियुक्त को छोड़ देने का निर्णय दिया । इसी प्रकार के और भी बहुत से निर्णय होते हैं । और समाचार पत्रों मे निकलते रहते हैं । लेकिन मैं उन निर्णयों को पढ़ कर सदन का समय नहीं लेना चाहता । केवल यही कहना चाहता हू कि इस तरह से न्याय की बड़ी हत्या होती है । इस के अतिरिक्त कुछ मामलों में निर्णय होने मे बहुत समय लगा दिया जाता है । कभी कभी साल डेढ साल तक लग जाता है । यह एक सिद्धान्त है कि जब न्याय देर से मिलता है तो वह न्याय नहीं होता है । इस प्रकार किसी निरपराध व्यक्ति को डेढ़ साल तक बन्द रखना बहुत गलत है । इसीलिये मैं इस धारा को हटवाना चाहता हू ।

अब मैं सदन के सामने यह प्रकट करना चाहता हूं कि धारा ११० का किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है । आज हर गाव मे हमारे यहा दलबन्दी का राज है । जब से उत्तर प्रदेश मे पंचायत राज कायम हुआ है तब से और कुछ चाहे हुआ हो या न हुआ हो, घर घर मे दलबन्दी जरूर बढ़ती जा रही है और पुलिस का रोब बढ़ता जाता है । एक आदमी दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखा देता है जिस का उस को पता नहीं लगता । कुछ समय के बाद उस को हैबिचुअल कह कर उस पर मुकदमा चला दिया जाता है । अभी मेरे क्षेत्र में दो सगे भाइयों के विरुद्ध धारा ११० का प्रयोग किया गया । उन से पुलिस और गांव के लोग नाराज थे और वे धारा ११० के शिकार हुए । मैं समझता हू कि धारा १०९ और ११० जो कि हमारे प्रजातन्त्र के लिये कलंक है उन को हटा दिया जाना चाहिये ।

अन्त मे मैं धारा १६१ के बारे मे कुछ कहना चाहता हूं । धारा १५४ मे पुलिस को अधिकार है कि वह किसी अपराधी व्यक्ति का बयान ले सकती है । उस के बारे में नियम यह है कि उस बयान की प्रतिलिपि और जो भी अभियुक्त के बारे मे डायरी मे और चर्चा हो उस की प्रतिलिपि जिलाधीश को भेजी जाय । एक प्रतिलिपि सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस को भेजी जाये और एक प्रतिलिपि पुलिस आफिस मे रहे । ताकि पुलिस किसी अपराधी के पक्ष विपक्ष मे अपने विवेक का दुरुपयोग न कर सके । लेकिन व्यवहार मे यह होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट ही देर से लिखी जाती है, कभी कभी २४ घटे बाद लिखी जाती है । और जब लिखी जाती है तो उन में लोगों का हत्या और डकैती जसे अपराधों में गलत नाम लिखा दिया जाता है । अगर पुलिस किसी व्यक्ति के खिलाफ है तो उस का नाम उनमे लिख दिया जाता है । और ये डायरियां उपस्थित कर दी जाती हैं । जो वकील लोग हैं, वे जानते हैं कि पुलिस कभी भी नियम के अनुसार चौबीस घटे मे डायरी नही भरती है और सुपरिन्टेन्डेन्ट के कार्यालय मे नहीं भेजती है । हमेशा हफ्ता, पन्द्रह बीस दिन के बाद डायरी भर कर भेजती है और यहा तक होता है कि जिन जिम्मेदार अधिकारियों के पास प्रतिलिपिया जाती हैं, जो कि कार्यपालिका के अंग होते हैं, वे भी बैक डेट से किसी पिछली तारीख से दस्तखत कर देते हैं ।

[श्री जगदीश अवस्थी]

इस लिये हम ने इस बिल में मांग की है कि अगर एक प्रतिलिपि सेशन्ज जज के पास पहुंचाई जाया करे, तो सेशन्ज जज कभी भी पिछली तारीखों में दस्तखत नहीं कर सकता, क्योंकि अब तक इस देश को और हमारे जैसे लोगों को विश्वास है कि इस देश की छोटी और बड़ी अदालतों से—सेशन्ज कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से—अब भी न्याय मिलता है। वे कभी भी पुलिस की फैब्रिकेशन और ट्विस्टिंग का समर्थन नहीं कर सकतीं। अगर उस की एक कापी न्यायाधीश के पास पहुंच जाया करे, तो पुलिस को यह करने का अवसर नहीं मिल सकता कि अभियुक्त को आज पकड़ना है, अगर नहीं पकड़ा गया, तो उस के बारे में जो चाहे डायरी भरती रहे, उस के बारे में जो चाहे आरोप लगाती रहे और अधिकारी लोग उस पर साइन कर दें। मैं एक घटना का वर्णन कर के अपनी बात समाप्त करता हूं। जिला कानपुर स्थित सिठमरा गांव में, जहां का मैं रहने वाला हूं, ३ अक्तूबर की रात को एक डकैती पड़ी और वहां पर एक स्त्री का डाकुओं ने सफाया किया और कुछ माल भी लूटा। उस गांव में हमारी पार्टी के मन्त्री श्री रामपाल सिंह जी रहते थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन के बाद लिखी गई। मालूम हुआ कि २१ दिन तक पुलिस ने डायरी नहीं भरी थी और उस में उन का नाम नहीं था, लेकिन उस के बाद उन की कुर्की जब्ती आ गई और उन को उस डकैती में फंसाने का प्रयत्न किया गया। चूंकि चुनाव का समय आ रहा था, इस लिये जो लोग इस सम्बन्ध में दिलचस्पी रखते थे, उन्हों ने उन को डकैती के गम्भीर अपराध में फंसाना चाहा और यही हुआ। उन को अपराधी घोषित कर के जेल भेज दिया गया। अन्त में वह बामुश्किल तमाम उच्च न्यायालय से छूटे। उसी घटना से मुझे यह प्रेरणा हुई कि अगर इस प्रकार का संशोधन कानून में हो जाये, तो फिर पुलिस अपनी विवेकशक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती। इस लिये मैं चाहता हूं कि धारा १६१ में इस तरह संशोधन कर दिया जाये कि उस की एक प्रतिलिपि न्यायाधीश के पास भी जायेगी। तब फिर पुलिस को अपना कार्य करने में और जो सचमुच अपराधी हैं, उन को उचित दंड देने में बड़ी सहायता मिलेगी। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि मैं जाब्ता फौजदारी की धारा १०७, १०९ और ११० को लोप करने और धारा १६१ में संशोधन करने सम्बन्धी जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उस पर सदन गम्भीरता के साथ विचार करेगा। मैं मंत्री महोदय से भी यह आशा करता हूं कि जब वह जवाब देंगे, तो यह दलील नहीं देंगे कि शान्ति और व्यवस्था के नाम पर इस कानून की आवश्यकता है। यह तर्क इतना पुराना और इतना थोथा हो चुका है कि इस की अब आवश्यकता नहीं है। यह तर्क तो ब्रिटिश लोग दिया करते थे और शान्ति और व्यवस्था के नाम पर लाठी गोली चला कर लोगों को जेलों में बन्द किया करते थे। अब उस तर्क की आवश्यकता नहीं है। हम आशा करते हैं कि यह तर्क मन्त्री महोदय नहीं देंगे। इस बात की आवश्यकता है कि जाब्ता फौजदारी में से ऐसी धाराओं को हटा दिया जाये, जिन से कि समाज में अपराध बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं जिन से बेगुनाहों को दण्ड मिलता है और जिन से हमारा कानून बदनाम होता है। मुझे विश्वास है कि सदन उस पर बहुत ही गम्भीरता से विचार करेगा।

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898 be taken into consideration"

The hon. Mover has already taken only 35 minutes; still he was kind enough to say that he will not take long. May I know what time the hon. Minister will take? Will he take the same time?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): I shall take about 15 to 20 minutes.

Mr. Deputy-Speaker: Then, one hour is gone and we have got one hour for hon. Members. Will ten minutes each do?

Shri Narayanankutty Menon (Mukandapuram): Ten minutes each will do.

श्री सरजू पाण्डे (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सदन के सामने आया है, मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे याद है कि बहुत दिन पहले हमारे प्रधान मंत्री ने अपनी "मेरी कहानी" में हिन्दुस्तान की पुलिस के कैरेक्टर के बारे में लिखा था कि "हिन्दुस्तानकी पुलिस इस तरह की है कि महज शुबहे के बल पर लोगों को चालान किया करती है, ऐसी पुलिस किसी देश में नही है, जो कि हमारे देश में है।" लाजिमी तौर पर सब को इस बात का तजुर्बा है कि किस तरह से दफा १०७, १०९ और ११० का दुरुपयोग यहां की पुलिस उस वर्ग के हित में इम्तेमाल करती है, जिस वर्ग का शासन आज हमारे देश में है। जैसी आज की अदालतें हैं और जिस तरह के कानून-कायदे है, उन मे गरीबों को न्याय पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ऐसी दशा मे धारा १०७ सिर्फ इस लिये रखी जाती है कि गरीबो का शोषण किया जा सके और वे उन अमीरो और बड़े लोगो के खिलाफ न लड सकें, जो उन के हक को दबाये हुए है, या जो उन का शोषण करते है। मैं नही जानता कि दुनिया के किसी भी आजाद मुल्क में इस तरह का कानून है कि महज शुबहे के आधार पर कुछ लोगों को जेल में डाल दिया जाये। अभी हमारे भाई ने बहुत सी मिसालें दी है। मैं खुद उस का भुक्त-भोगी हूं। पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश में भाषा आन्दोलन चल रहा था, तो मैं आजमगढ़ जिले की एक इलैक्शन मीटिंग में बोलने के लिये गया और जब वहां से वापस आया, तो मुझे पुलिस ने धारा १०७ में गिरफ्तार कर लिया और यह बताया कि आप की वजह से यहां पर शान्ति-भंग की आशंका है।

16·37 hrs.

[Shri Barman in the Chair]

मैं ने कहा कि मैं इस कस्बे में नहीं हूं, मैं बोल कर जा रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं है, फिर मेरे आने से कैसे शांति भंग हो गई। पुलिस ने कहा कि उन्हें शुबहा है कि आगे चल कर शांति भंग हो जायेगी। अजीब कानून है। दुनिया के किसी भाग में यह देखने को नही मिलता है कि किसी अधिकारी को विश्वास हो जाये कि किसी आदमी की वजह से शांति भंग होने की आशका है, और उस को इस आधार पर जेल में डाल दिया जाये—और ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया जाये, जिन को लोगों का विश्वास प्राप्त है, अर्थात् जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है। बहुत से लोग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, जन सघ के लोग और दूसरे दलो के लोग सोते में गिरफ्तार किये गये हैं और कहा गया कि उन के कारण भविष्य में—आज नहीं—शांति भग होने की आशका है।

श्री रा० च० शर्मा (ग्वालियर) : अगर जाग जाते, तो उपद्रव हो जाता।

श्री सरजू पाण्डे : अगर जाग जाते तो, खतरा हो जाता, लेकिन ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि अपराध करने से पहले अपराधी को जेल में डाल दिया जाये। मैं समझता हूं कि इस तरह का कानून किसी आजाद मुल्क में नहीं है।

हमें याद है कि जब आजादी नहीं मिली थी, तो हमारे कांग्रेस के नेता बड़ी-बड़ी बातें बनाते थे। मैं पिछले दिनों प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में गिरफ्तार हुआ था। हाई कोर्ट के सामने मैं अपना आर्ग्यूमेंट करने के लिये गया। मैं ने जज से कहा कि यह इसी कोर्ट की रूलिंग है कि कोई भी आदमी किसी भी पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ जनता में अपनी राय दे सकता है और सरकार के खिलाफ

[श्री सरजू पांडे]

डिस-एफ्रेंचाइज फैला सकता है, लेकिन यह जो सुविधा हम को प्रदान की गई है, उस का मैं फ़ायदा कैसे उठाऊं ? फ़र्ज़ कीजिये कि मैं कोई बात कहता हूं और पुलिस वाला लिख देता है कि इन्होंने कहा कि "उस को जान से मार डालो"—मैंने वह कहा हो या न कहा हो—तो बिना सबूत लिये मैं जेल में डाल दिया जाता हूं और उस की सफ़ाई नहीं होती । तो हम इस को कैसे फ़ाइट आउट करें ? कोर्ट ने कहा कि यह तो ऐसे कानून हैं, जो कि लालैस ला हैं । हमारे पास इस का कोई इलाज नहीं है । यह काम लैजिस्लेचर का है कि ऐसे कानूनों को बदलवा दे ।" मैं ने कहा कि दूसरी मिसाल यह है कि मैं कम्यूनिस्ट हूं और अगर आप मेरे साथ चाय पी लें और पन्त जी महाराज की पुलिस रिपोर्ट कर दे कि फ़ला अफ़सर ने सरजू पांडे के साथ चाय पी, तो लाज़िमी तौर पर वह दूसरे दिन सर्विस से निकाल दिया जायगा, चाहे वह एक हज़ार कम्यूनिस्टों को डेली अपने हाथों से फांसी देता हो । मैं समझता हूं कि इस तरह की धारायें किसी कानून में होना कि आप को विश्वास हो जाये कि यह आदमी क्राइम करने वाला है और उस को आप जेल में डाल दें, मैं समझता हूं कि किसी मुल्क के लिये और कम से कम हमारे आज़ाद मुल्क के लिये बड़ी लज्जाजनक बात है और हमारे देश को गिराने वाली बात है । अगर कोई अपराधी है, तो उस के अपराध को साबित होने दीजिये । अगर कोई अपराध करते हैं, तो उन को जेल में डालिये । मैं कहता हूं कि यह तीनों धारायें कांस्टीट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ़ है, यद्यपि इस कांस्टीट्यूशन में गरीब जनता को, देश के किसान मजदूरों को वह अधिकार प्राप्त नहीं है, जोकि दूसरे लोगों को हैं । इंगलैण्ड में, जिस को डेमोक्रासी की जननी कहा जाता है, कहा जाता है कि वहां पर कानून की नज़रों में सब बराबर हैं, लेकिन हमारे यहां कानून बड़े लोगों के लिये कुछ हैं और छोटे लोगों के लिये कुछ और हैं । बड़ा आदमी कितना भी बड़ा अपराध करे, कितनी बड़ी हत्या करे, पुलिस किसी को १०७ में नहीं पकड़ती है—कभी भी यहां के बड़े बड़े मिल-मालिकों को जेल में नहीं डालती है कि तुम्हारी वजह से मजदूर वर्ग में शान्ति भंग की आशंका पैदा हो गई है ।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : कानून नहीं रोकता है ।

श्री सरजू पाण्डे : कानून उन को नहीं रोकता है, लेकिन कानून उन का इलाज नहीं करता है । दूसरी तरफ तमाम बड़े लोगों को इस बात की इजाजत है कि वे जो चाहें करें और अगर गरीब आदमी बोले, अपने अधिकारों की बात करे, तो लाज़िमी तौर पर पुलिस उन को १०७ में बन्द कर देती है, या जैसा कि मेरे मित्र ने कहा किसी के हाथ में दियासलाई की बत्ती पकड़ा दी और कह दिया कि कोने में आग जला कर देख रहा था । और स्पष्ट हो गया कि यह चोरी करेगा । रास्ता चला जा रहा है । मुझे याद है इसी जगह, दिल्ली की घटना है, राम जी भाई गोरखपुर से आये थे । एक कांग्रेसी वर्कर बेचारे हैं बेचारे । वह बहुत सन्त आदमी हैं । राष्ट्रपति भवन को पुलिस ने उन्हें पकड लिया ९ बजे रात में । यहां एक माननीय मेम्बर के यहां ठहरे हुए थे । उन के हाथ में एक किताब थी अंग्रेजी की । पुलिस वालों ने कहा कोई बड़े पढ़े लिखे तो हो नहीं, इतनी मोटी किताब क्या करोगे ? बेचारे अपने लिये चन्दा मांग रहे थे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिये । पुलिस वालों ने कहा कि किसी एम० पी० के यहां से मालूम होता है यह किताब चुरा लाया है और राष्ट्रपति भवन के पुलिस द्वारा बन्द कर दिये गये । बड़ी मुश्किल से टैलिफ़ोन वगैरह करने के बाद रिहा किये गये । मैं समझता

हूं कि यह हंसने की बात नहीं है, लोगों को कम से कम इतना हथियारहीन तो नहीं होना चाहिये । इस मुल्क में कितनी क्राइम होती है । लेकिन सिर्फ सजा देने से वह घटती नहीं है । सिर की जगह सिर तोड दे, दात की जगह दात तोड दे, हाथ की जगह पर हाथ काट ले, लेकिन क्राइम बढ़ता ही जायेगा । कहीं कहीं अभी भी पाकेटमारी की सजा के लिये फासी दी जाती है । एक तरफ पाकेटमार को फासी दी जाती है दूसरी तरफ जो लोग फांसी को देखने के लिये जाते हैं उन मे से दो तीन की पाकेट वही पर कट जाती है । तो दड से यह चीज नहीं खत्म हो सकती। हमारे यहा के दडशास्त्रियो ने कहा है कि दड से यह चीज नही रुकेगी । आज समाज में कुछ लोगो की छाती-पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, वे हिंसा करते हैं, लूट करते है, मारते है, मगर उन को कानून का प्रोटेक्शन नही मिलता है, मगर राज्य इस बात की इजाजत नही देता, मगर मुल्क इन अपराधो को खुद रोकने के तौर पर लाजिमी तौर पर इन कानूना का इस्तेमाल नही करता है । इस लिये मै चाहूगा कि चूकि यह धाराये १०९ और ११० हमारे सविधान के खिलाफ है, हमारे अपन फैसला के खिलाफ हैं, इसलिये इन दोना धाराओ को वापस लिया जाना चाहिय । कम से कम हम अपने देश के अन्दर इन का इस्तेमाल न करे ताकि सब लोगो को बढने, फलने और फूलने का मौका मिले । आप इस तरह से अधिकारियो को इस का प्रयोग करने से रोके ।

एक बात कह कर मै खत्म करूगा क्योकि समय ज्यादा नही है । मैं चाहूगा कि आप इस पर ठडे दिल से विचार कीजिये । अगर मुझे मौका होता तो मै आप को उस जमाने की चीजे भी बतलाता, उन को सामने लाता, जबकि बहुत ज्यादा हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के जजो ने इन धाराओ के विरुद्ध अपनी रायें दी हैं । मुझे याद है कि एक बार बलिया में १०७ दफा के अधीन एक सज्जन को ३ वर्ष तक जेल में रक्खा गया । मैं भी उस जमाने में जेल में था । मै ने पूछा तुम्हारे मुकदमे का क्या हुआ ? कहा अभी सुनवाई नही हुई । इस १०७ दफा के अधीन रोज रोज हैरेस करेगे, परेशान करेगे । यह आप का कायदा है । इसलिये मैं चाहता हू कि जब लोग आज यहा इस रेजोल्यूशन के खिलाफ बोले, जो यहा के कानूनदा हैं वे इन कानूनो के खिलाफ खडे हुए हैं, उन का कहना है कि कोई भी इस दफा १०९ में पकडा जा सकता है । मुझे याद है कि किस प्रकार से बडे इम्पार्टेंट लीडरा को पकड कर जेल में डाल दिया जाता रहा है ।

एक माननीय सदस्य मत्री जी भी पकडे गये हैं ।

श्री सरजू पाडे मत्री जी की बात तो मैं नहीं जानता हू लेकिन मुझे याद है कि हमारे यहा बड बडे कांग्रेस के नेता भी १०९ में पकडे गय और उन मे से बहुत से आज उत्तर प्रदेश मे मिनिस्टर हैं । इसलिये मै कहता हू कि आज मुझे इन सब चीजो का इतिहास बहुत दोहराने की जरूरत नही है, जब यह हमारे कास्टिट्यूशन के विरुद्ध है, हमारी आजादी के ऊपर रोक लगाता है, जो हम को कानूनी प्रोटेक्शन नही देता है, उस को बिल्कुल ही क्रिमिनल प्रासीजर कोड से निकाल कर यश प्राप्त कीजिये, इसी मे देश का कल्याण है, जिस से कि उन तमाम लोगो को जो ऐडमिनिस्ट्रेशन की गल्तियो को जानते हैं, उन को कुछ कहने का मौका मिले ।

श्री मू० च० जैन (कैथल) चेयरमैन साहब, मैं इस बिल की मुखालिफत के लिये खडा हुआ हू । इसलिये नही कि पुलिस इन दफात का गलत इस्तेमाल नही करती या कि यह मै नही जानता या हाउस के कुछ मेम्बर नही जानते । इन दफात का पुलिस काफी गलत इस्तेमाल करती है, यह ठीक है, लेकिन ऐसे भी कितने सारे केसेज हैं जहा अगर यह

[श्री मू० चं० जैन]

दफा पास में न होती तो बहुत मुश्किलात पेश आतीं । लाजिमी तौर पर मूवर साहब को इन दो बातों में तमीज करनी चाहिये । कि आया इन दफात का दुरुपयोग होता है या नहीं, और अगर होता है तो इस दुरुपयोग को कैसे खत्म करें । क्या यह लाजिमी है कि हमारे सामने या पुलिस के सामने या देश की लीडरशिप के सामने बुनियादी तौर पर ऐसी दफात हैं जिन की जरूरत नहीं ? जोकि इस देश की जाब्ता फौजदारी में नहीं रहनी चाहिये । यह सीधी दो बातें हैं । मैं ने इतनी देर के बाद भी यह नहीं सुना कि किस तरीके से इन का इस्तेमाल किया जाना चाहिये. पुलिस को क्या क्या हिदायतें देनी चाहियें और मैं मिनिस्टर साहब से इस बारे में पूछूंगा भी । लेकिन पहली बात आज यह है कि यह कहना गलत है कि इन दफात की जरूरत नहीं । यह भी कहना गलत है कि यह कांस्टि-ट्यूशन के खिलाफ है । अगर यह कांस्टि-ट्यूशन के खिलाफ हैं तो कितने सारे मुकदमे हर सूबे में, हर जिले में हुए हैं, किसी भी जगह किसी मैजिस्ट्रेट के हुक्म को चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कि यह १०७ और १०९ दफात हमारे विधान के खिलाफ हैं । अगर वाकई खिलाफ हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यह फैसला दे सकते हैं कि यह अल्ट्रावायर्स हैं । उस के बाद यह जाब्ता फौजदारी से खत्म हो जायेंगी । लेकिन अभी तक ७ या ८ बरसों से तो किसी ने चैलेन्ज नहीं किया है मेरे खयाल में ।

एक माननीय सदस्य : चैलेन्ज किया है ।

श्री मू० चं० जैन : अगर चैलेन्ज किया होता तो इस बिल के लाने की जरूरत नहीं क्योंकि अगर यह अल्ट्रावायर्स है तो उसे वैसा करार दे दिया जाता । यह अब तक अल्ट्रा-वायर्स करार नहीं दिया गया नहीं तो इस बिल को लाने की कोई जरूरत नहीं थी । जहां तक इस के कांस्टिट्यूशन के खिलाफ होने की बात है, इस तर्क में कोई वजन नहीं है ।

अगली चीज यह कि साहब, यह क्या बात है कि अभी किसी ने जुर्म नहीं किया है लेकिन उसे पकड़ लिया जाय ? मैं उन से कहूंगा कि ऐसे कई केसेज हैं जिनमें पहले से पकड़ना जरूरी था । मैं जानता हूं कि पुलिस इस का काफी गलत इस्तेमाल करती है, इस में कोई शक नहीं, लेकिन ऐसे केसेज भी हैं जहां पुलिस इन को जायज तौर पर इस्तेमाल करती है और इस से गरीब आदमियों को बहुत मदद मिली है । अगर यह हथियार पुलिस के पास न होता तो उस गरीब आदमी की रक्षा नहीं थी । इसलिये इन का जाब्ता फौजदारी में होना निहायत लाजिमी है और इस को जाब्ता फौजदारी में से निकालना नहीं चाहिये । मिसाल के तौर पर आप दफा १०७ को लीजिये । इस में खुद यह बात लिखी है .

"Whenever a Presidency Magistrate, District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate or Magistrate of the first class is informed that any person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility or to do any act that may probably occasion a breach of the peace"

कोई खिलाफ कानून काम करने वाला है या जिसके किसी भी काम से नुकसे अमन का अन्देशा हो, मैं नहीं समझता कि उसे नुकसे अमन कर लेने देना चाहिये, उसे पहले खिलाफ कानून काम कर लेने देना चाहिये, तब उसे गिरफ्तार किया जाय, तब उसके खिलाफ एक्शन लिया जाय । मैं कहता हूं कि दवा से ज्यादा अच्छा इलाज होता है । और उसे काम करने का मौका दिये हुए ज्यादा अच्छा होगा अगर उसे गिरफ्तार कर लिया जाय ।

इसी तरीके से ११० की बात है । जहा तक दफा ११० का ताल्लुक है, उसमें लिखा हुआ है :

"Whenever .. .receives information that any person within the local limits of his jurisdiction—

(a) is by habit a robber, house-breaker, thief or forger, ..."

इतनी सारी चीजें दी हुई है । जब कोई आदतन मुजरिम है, उसके खिलाफ पाच या सात शिकायतें मौजूद हो, उसके खिलाफ क्यों न ऐक्शन लिया जाय ? इसका एक फायदा है कि अगर पुलिस के पास यह चीज है कि किसी आदमी की ११० में सजा हुई है और इस तरह के १०० आदमी हो तो उन को पहले ही पकड लिया जा सकता है । मुख्तलिफ सूबो मे अलग अलग चीजें होती है एक रजिस्टर में उन १०० आदमियो का नाम दर्ज है जब भी किसी इलाके मे कोई खास वारदात होती है तो पुलिस के पास एक बहुत जल्दी की चीज होती है कि जो इलाके के बदमाश हो उन्हें पकड कर तहकीकात कर ली जाय । कई दफा वारदातो का पता उन्ही आदमियो से चल जाता है । अगर यह रजिस्टर ही न रहे, अगर यह दफा ही न रहे, तो पुलिस किस तरीके से मालूम करेगी वारदात के बारे मे ? फिर मान लीजिये कि किसी एक गाव में एक चोरी हो जाती है, तो क्या सारे गाव के आदमियों को पकड़ कर बिठा लिया जाय ? कोई वारदात हो गई तो उस इलाके के दस बीस आदमियों को ले लिया, उनसे पूछताछ की और ७०, ८० फी सदी उन्ही लोगो में से चोरी निकलती है और काम चल जाता है । इसलिये कहना कि इन दफात के होने की जरूरत नहीं है हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, मैं इस को किसी तरह से तस्लीम नहीं कर सकता ।

अब मैं मिनिस्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं समझता हू कि वह जवाब देंगे । हमारी आजादी से पहले जो हमारी पुलिस स्टेट थी, पुलिस स्टेट के बाद हमने उसको सोशल वेलफेअर स्टेट बनाने का इरादा किया है, यह हमारा आदर्श है, और इस काम में हम लगे हुए हैं यह हमारा दावा है, तो क्या कोई हिदायतें जारी हुई हैं होम मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स को कि पुलिस को इन दफात का इस तरीके से इस्तैमाल करना चाहिये, और जो पहले तरीके थे उन तरीको से इस्तैमाल नही करना चाहिये । इसके लिये हमारे मिनिस्टर साहब यह कह सकते है कि यह मामला तो स्टेट लेविल पर उठाना चाहिये क्योंकि यह स्टेट्स सब-जैक्ट है और इसलिये वहा ही इसके वास्ते एजिटेट करना चाहिये । लेकिन मैं मन्त्री महोदय से दरख्वास्त करूगा कि जब हमारी सारी गवर्नमेंट की यह पालिसी है, हमारे देश की यह पालिसी है कि हम अपने देश में एक वैलफेयर स्टेट बनाना चाहते है तो यह जरूरी हो जाता है कि पुलिस इन दफात और इन कवानीन का, जिस तरह से कि वह पहले इस्तैमाल करती थी, अब उस तरीके से उनको इस्तैमाल मे न लाये । पुलिस द्वारा इन कानूनो का गलत तौर पर इस्तैमाल होता था । इन दफाओ का सियासी आदमियों पर इस्तैमाल होता था जिसको कि मैं बिल्कुल गलत इस्तैमाल मानता हू । किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओ के विरुद्ध मसलन सोशलिस्ट पार्टी वालो के या और किन्ही राजनैतिक पार्टीज के कार्यकर्ताओ के विरुद्ध यह दफा १०७, १०९ और ११० का इस्तैमाल किया जाना बराबर गलत है और यह उन कानूनों का दुरुपयोग है । जरूरत आज इस बात की है कि आप इस दुरुपयोग को खत्म करें न कि इस कानून को ही आप खत्म कर दे । मेरा अपना मत है कि यह दफाए और कानून तो होने चाहियें और इनको कानूनी किताब में रहना चाहिये लेकिन पुलिस और सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा इन अफाओं का जो गलत

[श्री मू० च० जैन]

और नामुनासिब इस्तैमाल होता है उसको रोकने की कोशिश की जाय और उसके लिए जरूरी कदम उठाये जायें। अब ऐसा पुलिस अधिकारी किस कारण से करते हैं, कुछ उनके पुराने सस्कार इस किस्म के हैं जिनके कि कारण वे ऐसा करते है, इसका तो आप स्वय फैसला करे लेकिन मैं यह चाहूगा कि जिस तरह से पिछले जमाने से इन दफाओ का दुरुपयोग होता चला आया है वह अब जारी नही रहना चाहिये।

इन दफाओ के दुरुपयोग के बारे में मै कुछ अपने जाती अनुभव पर प्राप्त मिसालें देना चाहता ह कि किस तरह से इनके मातहत गरीबो को कुचला जाता है। मिसाल के तौर पर एक खेत पर टेनेट काबिज है, टेनेन्ट का खेत पर कब्जा है, पटवारी के कागजात में भी लिखा हुआ है लेकिन मालिक जमीन उससे जबर्दस्ती कब्जा लेना चाहता है और पुलिस को चाहिये तो यह कि जो जबर्दस्ती कब्जा लेना चाहता है उसे १०७ में पकडे, पुलिस उस गरीब मुजारे को भी १०७ में धर लेती है। पुलिस दोनो को गिरफ्तार करती है लेकिन होता यह है कि टेनेंट के तो १५ आदमी गिरफ्तार कर लेती है लेकिन मालिक जमीन के एक दो नौकरो वगैरह को गिरफ्तार करती है। मै मत्री महोदय से रिक्वैस्ट करूगा कि वह हर एक स्टेट से फेहरिस्त मगाये तो वे यह देख कर हैरान रह जायेगे कि इस तरह के जमीन मालिको और टेनेन्ट्स के बीच कितने सारे मुकद्दमे चल रहे हैं और उनमे टेनेन्ट्स को किस तरह इस १०७ के मातहत रगडा जाता है, हैरेस किया जाता है और परेशान किया जाता है। उन बेचारों को किस तरह उनके गावो से सुनवाई के लिये हैडक्वार्टर पर बुलवाया जाता है, दिन दिन भर वे वहा बैठे रहते हैं और शाम को कह दिया जाता है कि उनकी तारीख पड गयी है। मैजिस्ट्रेट्स उन पर इस कदर मेहरबान होते हैं कि उनकी १०, १० और १५, १५ पेशियां लगवा देते हैं और उनका हैडक्वार्टर पर आने जाने में ही कचूमर निकल जाता है, हैडक्वार्टर आने में जो उन पर खर्चा पड़ता है सो तो अलग और खेत पर जो वे मजदूरी करते हैं उसका हर्जा जो होता है वह अलग और यह सब अफसरान की मेहरबानी के कारण होता है। दफा १०७ को रहना चाहिए लेकिन आज बदले हुए हालात में, इस वेलफेयर स्टेट में और इस सोशलिस्टिक पैट्रन आफ सोसाइटी के ढाचे में दफा १०७ गरीबो की मदद के लिये होनी चाहिये न कि उनको सताने के लिये।

मै एक ऐसा वर्कर होने का दवा करता हू जो कि अब तक देहातो में काम करता रहा है और आगे भी करता रहूगा और एक वर्कर के अलावा एक वकील की हैसियत से भी मुझे जो जाती तजुर्बा हुआ है वह यह है कि पुलिस दफा १०७ और १०९ वगैरह का इस्तैमाल गरीबो को रगडने के लिये करती है और इसका इस्तैमाल जहा होता है वहा ९० फीसदी अमीर के हक में इस्तैमाल होता है। आप इन दफाओ का गलत इस्तैमाल रोकने के ख्याल से चाहे आई० जीज० की मीटिंग करें या स्टेट्स के पुलिस मिनिस्टर्स की एक कान्फ्रेंस बुलाये और उसमें कोई पुलिस के लिए नया कोड आफ कडक्ट निकालें ताकि हर एक पुलिस थाने में यह हिदायत हो कि अगर किसी भी पुलिस सब इस्पैक्टर ने उसके खिलाफ अमल किया, बदउनवानी से काम लिया और इन दफाओ का बेजा इस्तैमाल किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी। अगर इस तरह की कोई व्यवस्था की जाय तो मै समझता हू कि हमारे अफसरान में इस बात का अहसास पैदा होगा कि कानून ने जो उन्हें अख्तयारात दिये हैं उनका यदि वे गलत इस्तैमाल करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी। इस तरह का इन्तजाम करने से ही इस देश में रूल आफ ला कायम हो सकता है वरना पुलिस इस किस्म के कानूनो से रूल आफ

या कायम करने के बजाय मिसरूल करने वाली है। अब यह मिनिस्टर साहब का काम है कि वह इसको ठीक करने के लिये उनके पास कैसी हिदायतें भेजें, कोई नया कोड आफ कंडक्ट उनके वास्ते बनायें। मैंने तो आज जो गरीब लोगों के साथ सलूक हो रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है वह बयान कर दिया।

Shri Narayanankutty Menon: Mr. Chairman, Sir, it may be taken for granted that the hon. the Home Minister is not going to accept the Bill. But apart from all considerations I wish to place before him two aspects of the Bill, one concerning the preventive sections and the other concerning section 161.

It may be argued quite rightly by him that there is a necessity for these preventive sections to be retained in the Code And I also agree with him that in some form or another certain preventive sections should be incorporated in the procedural law, so that when necessity arises, as might be usual, socially undesirable elements will have to be dealt with for prevention of a breach of the peace, and therefore, broadly it might be necessary that these sections, not in the present form, but in some other form be retained in the statute

But what I wish to tell the hon. Minister is, let him impartially examine, apart from all political considerations, the sum total and the result of the working of sections 107 to 110, and whether in a large majority of cases the Government could themselves be convinced that a large amount of misuse had been there and that it is going on I am not for a moment suggesting that this misuse could be properly prevented by means of a control directly from the Government, and misuse and the likelihood of misuse is so inherent in the nature of these sections. If these sections are retained in the present form, it is impossible sometimes to control it also.

For example, even though the authority to take action is an executive magistrate, the subjective satisfaction as to whether a person is going to commit an offence and is to be bound over is left entirely at the disposal of the police officer concerned Because, at the time of deciding the whole case the magistrate has not got any other material with him expect a broad report prepared by the police officer, unsupported by any evidence The only document accepted as evidence in law is an affidavit filed by the police officer and the magistrate is bound to take action on the basis of that affidavit which is unchallenged and untested either by cross-examination or in any other way

Therefore, it is quite likely that if the present procedure which extends to section 117 is retained there is likelihood of misuse of these sections, and misuse is really happening I was closely following the speech of my hon friend Shri Jain Whenever there is a strike you will find the police resorting to these sections in order that the workers are bound over We will be very glad if the hon. Minister can point out a single instance in the last twelve years where section 107 has been used against an employer who has violated the law relating to workers or who has indulged in blackmarketing The hon the Food Minister was telling the House today that even though the price of sugar was soaring and action could have been taken, the Government was helpless and they could not take action. I would like the hon. Home Minister to point out any case where the workers are not bound over and this section has been used against the employer.

In a still large number of cases, as far as agricultural labour and tenants are concerned, this section has been used in disputes between agricultural labour, the tenants and the landlords, and invariably the police use the section against the workers and the peasants and agricultural labour, and against the other side it is not used.

[Shri Narayanankutty Menon]

My only submission is, first of all, misuse will have to be prevented by the Government, and, secondly, in their present form it is impossible to prevent their complete misuse. These sections and the procedured sections which follow up to section 117 will have to be suitably amended, so that the magistrate will have before him material evidence just like an ordinary cognizable offence case and he can come to an objective satisfaction about the likelihood of the person concerned committing on offence

I earnestly desire that the hon Home Minister and the Government will spend some time over this question and, in order to prevent the possible misuse the likelihood which nobody can deny that it is being misused at least on some occasions, come forward with suitable amendments as far as sections 107 and 117 are concerned

17 hrs.

Coming to section 161, the hon Minister will have to agree that it is possible to have a large amount of misuse by the police especially after the amendment of the Criminal Procedure Code in 1956 Till the Code was amended in 1956, a statement recorded by the police could be used only for the purpose of contradiction whereas now it can be used as evidence even for the purpose of corroboration in cases where the witness turns hostile in the sessions court

Shri Datar: Not for corroboration, only for contradiction

Shri Narayanankutty Menon: I may submit, Sir, that in case where the witness after having given evidence in the lower court turns hostile in the sessions court, this can be used as corroborative evidence The police diary could be used as evidence It was under the old Code that it could be used only for contradiction In that case it is a piece of material evidence which the accused gets It is the most important material evidence, because that is the first picture of the whole story as disclosed to the police Invariably in many cases you will find that if the case diary could be kept under the complete disposal of the police till the filing of charge-sheet there is likelihood of its misuse As far as that provision is concerned, the amendment introduced by my hon friend is innocuous. It will not be possible for the hon. Minister to object to that, because the new procedure suggested is that as soon as the case diary is written just like other papers that are sent to the Magistrate let the police send a copy of the case diary also As there is a condition precedent in the Police Manual that a copy of the case diary will have to be simultaneously forwarded both for the District Superintendent of Police and the Senior Investigating Officer, let a copy of the case diary be sent to the judicial Magistrate also, so that later on the police will not be able to fabricate things This is the most valuable document, Sir, as far as the accused is concerned, more important in sessions cases where the accused stands charged with capital offences and it is therefore necessary that the accused be given protection and the authenticity of this document should be preserved by sending a copy at the earliest stage to the Magistrate I cannot find any reason why the Government should disagree with this simple procedure of sending a simultaneous carbon copy, to the magistrate when they are sending a copy to the District Superintendent of Police and the Senior Investigating Officer, so that the Magistrate can keep it and the authenticity of the document can be safeguarded

Therefore, my earnest appeal is that the Government should accept this amendment, because the principle involved has already been accepted by the Government, that once a case diary is recorded, once an evidence has been recorded, it should not be tampered with If that is the intention of the original section, if that is the

intention of the Government, certainly this amendment could be accepted, whereby a copy of the case diary should be sent to the magistrate and more guarantee is given to the authenticity of the document. Any possible misuse of the provision, so far as the police is concerned, can be totally prevented, and the whole section made fool-proof.

Shri Tangamani (Madurai): Mr. Chairman, Sir, enough has been said about the way section 107 has been misused in the past. I shall briefly refer to certain objections raised by one of the speakers, who said that all these sections will have to be retained if there is to be prevention of offences.

Sir, the whole chapter, Chapter VIII, which deals with prevention of offences, namely, security for keeping peace and for good behaviour, requires a radical transformation. I shall briefly show how the very wording of the various sections, which have been referred to by my hon. friend who moved this Bill, is likely to be abused. Section 107(i) says:

> "Whenever a Presidency Magistrate, District Magistrate, Sub-divisional Magistrate or Magistrate of the first class is informed that any person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquillity or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace, or disturb the public tranquillity, the Magistrate if in his opinion there is sufficient ground for proceeding may, in manner hereinafter provided, require such person to show cause...."

It is so wide and so general. As against this, the corresponding provision in the English law is as follows:

> "If a person has just cause to fear that another person will do him some bodily harm, as by killing him or his wife or his child, he may demand surety and the peace against such person and it is the duty of the Justice of the Peace to bind over such person. If the applicant proves on oath that he is actually under such fear and has just cause to be so".

So it was meant only to prevent the commission of certain serious offences on the basis of complaints by those people who are likely to be attacked. But here, as many hon. friends have pointed out, section 107 has been used in cases where there is likely to be breach of the peace according to the magistrate.

Some instances also were mentioned such as the one in September, 1958 when there was a food agitation in Uttar Pradesh and when as many as 10,000 people were arrested and my friends tell me that a thousand people were arrested under section 107 including one of the Members of Parliament here. I will be happy to know from the hon. Minister how many were actually arrested under section 107. If, for such an agitation, section 107 is used, then will it not amount to an indiscriminate use of this section?

If we come to section 109 (b), the words are:

> "that there is within such limits a person who has no ostensible means of subsistence."

Can you have a phrase much wider than "has no ostensible means of subsistence" in a country where *Daridranarayans* are worshipped? In that case, a police officer can arrest a person for having no ostensible means of subsistence. That phrase may be the easiest way by which they can take action. So, this kind of test which might have been all right when they conceived of such a thing can no longer apply, and it is like to be abused.

Also, this section is mainly to prevent vagabondism and in the name of preventing vagabondism any person who is found, according to the police officer, without any means of subsistence can be arrested and detained under this section.

[Shri Tangamani]

If you take section 110, there is one more aspect. My hon. friend referred to habitual offenders—an offender who is by habit a robber, house-breaker, thief or forger. But what he has forgotten to mention is sub-section (f) which says:

> "is so desperate and dangerous as to render his being at large without security hazardous to community"

So, who is to define that a particular person is a desperate person? A person who is opposing a certain proposal of the Government may be a desperate person A person who is going to take a particular attitude to a certain thing may be a desperate person So, these phrases such as "a person without ostensible means", "if he is satisfied that there is likely to be a breach of the peace" are all phrases much wider than the mark and unless a radical change and a radical modification of these preventive sections are resorted to, there is likely to be a further abuse of these provisions

I would like to say one more thing My hon friend has referred to three sections Section 108, according to him, is an obnoxious section That section says:

> "a person who disseminates seditious matters, a person who causes some disaffection amongst the communities, etc"

There are the persons who are to be brought under this section 108. There are enough sections in the Indian Penal Code for bringing to book all these persons. So, in the name of prevention of offences, we cannot resort to such measures. I do admit that we have got to have provisions for prevention of offences, but, if we start from section 151, and then take up sections 106 to 125, we will find that there is a series of sections which give wide powers to the police officers. Therefore, the intention of my hon. friend is to see that these wide powers given to these police officers are curbed. Flowing from this is the question of investigation: Section 154 deals with what is known as the first information report The first information report will have to be submitted to the district police officer and also to the magistrate concerned. Whenever there is a cognizable offence, certainly the magistrate gives him proper direction and the police officers also decide as to whom a particular case should be referred There is a check and cross-check

In the same way, when investigations do take place, as the hon. Minister knows, to this day probably the one person who is not trusted by the courts is the Inspector-General of Police If I make a statement to anybody, that can be used But a statement I have made to the Inspector-General of Police in the course of an investigation cannot be used in a court of law What does it show? There is a certain pressure exercised by these police officers, not that all the police officers are bad, but in the nature of things, a certain pressure is exercised and a check and countercheck are necessary That purpose is sought to be served by this amendment. I must say that this amendment is a very wholesome provision. Unless this is done, the intention of those who wanted to amend section 162 in 1956 will not be served

What exactly does the Bill seek to do? It says:

> "A copy of the police diary, the information recorded under sections 154 and 155 of this Act and the statements recorded under sub-section (3) of this section, shall be sent to the District Judge having jurisdiction over the area, within 24 hours of any entry being made in the police diary or any information or statement being recorded, excluding the time taken for the despatch...." etc.

We do give him time also to send those records. The only purpose is to see that there is no chance given for manipulating and altering these valuable records. I hope the Hon. Minister will see his way to accepting this amendment or at least the spirit of it. If he is not going to accept this amending Bill, at least let him bring forward a suitable amendment to the Criminal Procedure Code.

Shri Naldurgkar (Osmanabad): Mr. Chairman, much criticism has been levelled against the police in respect of the implementation of sections 107, 108 and other sections of the Criminal Procedure Code. I respectfully submit that all these criticisms are baseless and unjustified.

Shri Narayanankutty Menon: All of them?

Shri Naldurgkar: Yes; I will deal with them. All the sections to which I will refer are preventive. There is a maxim that prevention is better than cure. I may say that prevention of crime is better than to see the commission of crime. So, without waiting for a certain offence to be committed, it is better that that offence is prevented.

There has been so much argument that these sections are sometimes misused. I am afraid those arguments are quite against the wording of these sections. Under section 107, the magistrate is not to act only on any report that is received by him. But there are these words of "in his opinion there is sufficient cause for proceeding". The report is to be received by a magistrate. It is not incumbent under section 107 that only police have to submit that report for taking any action under this section. Any person—he may be from the public also—can submit a report that there are such and such facts that are mentioned in section 107. Section 107 is preventive in nature. Suppose a person is likely to commit a breach of peace or disturb the public tranquillity, then this section is meant to prevent the occurrence of such acts. This prevents a person from committing those acts. Then section 109 has been enacted which enables the precautions to be taken in advance for suspected persons. Section 110 relates to habitual offenders.

So, when such report is received by the magistrate, after that he scrutinises the report. Thereafter he satisfies himself whether to proceed or not. The moment the report is submitted the magistrate does not proceed. There is a procedure under section 112. When such a report is received the magistrate has to satisfy himself that action is necessary. If the magistrate is not satisfied, he will dismiss the report and will not proceed. If he thinks that there are proper grounds to proceed in order to prevent a breach of the peace or other acts that have been mentioned in sections 107 to 110, then he will proceed under section 112. Then he shall send a summons. For that summons the report is the basis. Then the report is annexed with the summons and the party is given a chance to show cause why he should not be bound, and what are the causes of making such report against him. After his written statement is received, if the magistrate is satisfied that there are no reasonable grounds to proceed further, then the magistrate is given discretion to release him or to dismiss all the proceedings. But if the magistrate thinks, to proceed with application of section 112, then that report will be explained to him, or if he is in the court, then instantly that report will be explained to him and he will be ordered to show cause why action should not be taken against him and why he should not be asked to furnish a security for keeping peace and tranquillity. After that a chance is given to both the parties to adduce evidence. Even the person making the report can adduce evidence and the other party can refute all the charges. Thus, even the defendant is given a chance to adduce

evidence. After considering the evidence of both parties the magistrate can take action under sections 117 and 118 of the Cr. P. C. If the magistrate thinks that the report is baseless then he has the discretion to release the accused.

Therefore, all these security measures that are taken from sections 106 to 119 are all preventive measures and any action taken under Chapter IV is considered to be a summons case, and the procedure followed there is of summons cases Therefore, I do not know why so much criticism has been levelled against the police department that police misuse these sections. These sections have been enacted in order to have public tranquility, peaceful life to the citizen That is a right of the citizen. Every citizen has a right in society to pass his life peacefully And if any person disturbs the peace and tranquility, he has also the right to move the court so that such person could be taken to task. From my own previous experience I can say that some years ago I have myself submitted an application before a magistrate The magistrate was requested to take action under section 107 But he declined, there was criminal trespass After that, there were four murders over that controversy regarding possession of the property. This is my professional experience in two or three matters. If, on the same day, the magistrate had taken action and prevented the other party from entering on the land, those four lives would have been saved and those persons would have been still alive to see the independence of India Unfortunately, some incident occurred Therefore, the allegation or the argument that is advanced in this case that all these sections are mis-used are quite incorrect.

In this case, if the discretion had been given to the police to do anything, I admit, perhaps, there would have been misuse of these sections. When the judiciary is given the power to proceed or not on the basis of the information given to it, what is the objection? The magistrate, no doubt, is vested with power to take precautionary measures in this matter and proceed. After all, there are sections 112, 117, and 118 to give full scope, full liberty and to give full chance to the other party to adduce evidence and refute all the allegations.

Shri Narayanankutty Menon: If the hon. Member could give one instance where, not on the petition of a private party, alone but when the petition is supported by an affidavit of a police officer, any magistrate in India has refused to give a warrant we will be satisfied If he could give one instance, that would be enough.

Shri Naldurgkar: What should be the grounds for satisfaction of the magistrate is immaterial The section says, when in his opinion there is sufficient ground for proceeding That may be with affidavit or without affidavit That is in the discretion of the magistrate Therefore, you cannot charge or dismiss the magistrate that he was misusing the sections, because the magistrate is not bound to take any evidence He can proceed even on a letter of a certain person If I send a certain letter by postal delivery to a magistrate and if the magistrate thinks fit, he will proceed

Shri Braj Raj Singh (Firozabad) Hence the omission of these sections.

Shri Naldurgkar: Why?

Shri Braj Raj Singh: Hence.

Shri Naldurgkar: I have stated, I am one of the factors of society I am one of elements of this democratic republic. I have got a right that I should pass my nights peacefully, that I should sleep peacefully and I should go wherever I want to go peacefully and my peace should not be disturbed by any unsocial elements or mis-

creants. With that idea I can say that the omission of these sections will do no good to the society and that it would result in the increasing of murders and other serious matters. Therefore, I oppose this Bill. There is no necessity of omitting these sections.

As far as section 161 is concerned, I think there is no necessity for the present amendment. Under section 162, when the police submit the challan into the court, the accused are given full copies After the challan is submitted and before the trial begins, under section 162, all copies, including copies of documentary evidence, including statements recorded by the police during investigation are given to the accused Unless those copies are given, no trial is proceeded with Therefore, when the accused have a chance to get all statements of persons recorded under section 161, I think there is no mis-use of that section also

On all these grounds I can say that there are no sufficient grounds for the omission of these sections Therefore, I oppose the motion and appeal to the House that this motion should be rejected

श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली) : श्रीमन्, दफा १०७, दफा १०९ और दफा ११० जाब्ता फौजदारी की सबसे ज्यादा प्रतिक्रियावादी दफायें हैं। इसी के साथ साथ यह दफायें हमें मिले हुए मूलाधिकारों पर भी कुठाराघात करती हैं, चोट पहुचाती हैं। इन दफाओं के चलते हुए हर दिन हजारों लोग इस देश के अन्दर मनमाने तरीके से परेशान किये जाते हैं। इसलिये दफा १०७, दफा १०९ और दफा ११० का फौजदारी विधान से निकाला जाना बहुत ही आवश्यक बात है, जरूरी है। इस सम्बन्ध में मैं इतना कहना चाहता हूं कि बहुत वकालतें इस बात की गई कि ला आर्डर के नाम पर इन दफाओं का रहना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से इन दफाओं का प्रयोग हो रहा है, जिस तरीके से इन दफाओं के इस्तैमाल करने के सिलसिले में सरकारें मनमाने तरीके से बरताव कर रही हैं और इन दफाओं का नाजायज इस्तैमाल करती हैं, उस को देखते हुए इन दफाओं का जाब्ता फौजदारी से निकाला जाना बहुत आवश्यक है।

अभी अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि पिछली बार जब खाद्य आन्दोलन उत्तर प्रदेश में चला था तो उस मौके पर हजारों लोगों की गिरफ्तारी दफा १०७ और दफा ११७ में हुई थी। मैं स्वत. उस सरकार का, जो कि रूलिंग पार्टी है, शिकार रहा। दफा १०७ के मामले में दो बार मुझे गिरफ्तार होना पड़ा। रात के वक्त ३ बजे, ४ बजे, जब मैं अपने मकान पर सो रहा था, उस मौके पर दफा १०७ और ११७ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरे ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया। एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया जो उस स्टेट के मौजूदा गृह मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी का विधान सभा के चुनाव के सम्बन्ध में प्रतिद्वन्दी था। ऐसे आदमी को दो मर्तबा दफा १०७ और ११७ में गिरफ्तार किया गया। मैं एक घटना और इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। १० मई, १९५७ को उत्तर प्रदेश की सोशलिस्ट पार्टी ने "अंग्रेजी हटाओ" आन्दोलन और उसी के साथ साथ "उत्तर प्रदेश से विदेशी मूर्तियों को खत्म करो" आन्दोलन उसी महीने में शुरू किया था, और उस सम्बन्ध में १५ और १६ मई को जो चकिया तहसील है बनारस के जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर का निर्वाचन क्षेत्र है विधान सभा का, मेरा भी वही निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें मेरी सभायें हुई थी। चकिया तहसील में श्री कमलापति त्रिपाठी की भी सभायें हुई थी। जिस दिन मालूम हुआ अधिकारियों को कि यह सभायें रक्खी गई हैं, उसी दिन १५ तारीख को उन्होंने मुझे दफा १०७ और दफा ११७ में गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन चूंकि मैं उस क्षेत्र में चला गया था, उस क्षेत्र की जनता

[श्री प्र० ना० सिंह]

जो है वह हमारे लोगों के साथ है और शायद गिरफ्तारी होने पर हजारों लोग अपने को गिरफ्तार कराने के लिये पहुंचना श्रेयस्कर समझते, इसलिये चकिया तहसील में मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन मेरी और गृह मंत्री जी की सभायें आमने सामने हुई चकिया तहसील में, और मेरी सभायें होने के बाद उन की सभायें हुईं, यह दूसरी बात है कि मेरी सभाओं में ज्यादा लोग आये थे। १६ मई की रात को मैं भी बनारस आता हूं कार से और वह भी सरकारी गाड़ी से बनारस आते हैं। १७ मई को देखता हूं कि पुलिस मौजूद है, डी० एस० पी० मौजूद है। यह कहलाया गया कि तुम्हारी गिरफ्तारी १०७ में की जाती है। उस सरकार ने जो कुछ किया उसे न्यायालय ने माना कि जिस तरीके से मेरी गिरफ्तारी हुई है वह गलत है। लेकिन खाद्य आन्दोलन के सिलसिले में जो कि सितम्बर, १९५८ में चला १२ सितम्बर को सारे प्रदेश में हड़ताल होने वाली थी सरकार के खिलाफ। खाद्य की कीमत बहुत जोरो के साथ बढ़ती चली जा रही थी और उस खाद्य नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करने के लिये उत्तर प्रदेश के विरोधी दलो ने उत्तर प्रदेश के अन्दर आम हड़ताल की घोषणा की थी। सरकारी नीति के खिलाफ १२ तारीख को हडताल होनेवाली थी, ११ तारीख की रात में ३०० लोगों को मकान से गिरफ्तार किया गया। आप को देख कर आश्चर्य होगा कि सितम्बर, १९५८ में जो खाद्य नीति चल रही थी उस समय दफा १०७ में मुझे गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज भी, जब कि उस खाद्य आन्दोलन को बीते साल हो गया, मेरे मुकदमे का फैसला नही हुआ है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जो कि इस सदन में मौजूद हैं, कि साल भर बीतने के बाद भी दफा १०७ और ११७ में मुझ से जमानत और मुचलका मांगा गया। वह अभी भी अदालत में चल रहा है। जब उस खाद्य आन्दोलन को साल भर बीत गये तो अब कोई मुझसे अमन का खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ऐसे आदमी से जमानत और मुचलका मैजिस्ट्रेट द्वारा मांगा जा रहा है और इस प्रकार बाकायदा उन्होंने १०७ और ११७ के मुकदमे में मुझे बाइंड डाउन कर दिया है। और सेशन कोर्ट में उसकी अपील पेंडिंग है। मैं श्री दातार से पूछना चाहता हूं कि क्या वे दफा १०७ और ११७ का इस्तेमाल राजनैतिक आंदोलनों को जो कि शान्तिपूर्ण हों, उनको दबाने के लिए करना चाहते हैं? जब जनता के दो दलो में झगड़ा हो और जो कि दफा १०७ की मंशा है तो उसमें तो इस दफा के इस्तेमाल की बात समझ में आती है लेकिन जब सरकार से जनता का झगड़ा हो, जब सरकार की नीतियो से विरोधी दलों का झगड़ा हो और जब सरकारी नीतियों के विरोध में विरोधी दल वाले और अपनी मांगों के सिलसिले में शान्तिमय प्रदर्शन कर रहे हों, शान्तिमय सभाएं कर रहे हों तब १०७ और ११७ का खुले तौर पर इस्तेमाल, और हजारों की तादाद में इस १०७ और ११७ का इस्तेमाल किया जाना समझ में नही आता। जब ऐसी हालत हो तो कुछ लोगो का यह कहना कि दफा १०७, १०९ और ११७ के द्वारा अन्याय नहीं होता, कोई मायने नही रखता है। अब किसी गवर्नमेंट के खिलाफ शान्तिमय तरीके से आन्दोलन चलाना और उसके विरुद्ध जनमत तैयार करना और उस सरकार को शान्तिमय तरीके से बदलने के लिए शान्तिपूर्ण सभाएं और प्रदर्शन आदि आयोजित करना, इन बातों का उस संविधान ने जिसको कि हमने अपनाया है, पूरा हक देता है लेकिन हमारे यह रोज देखने में आता है कि संविधान में दिये गये अधिकारों का उपयोग जनता को नही करने दिया जाता है और राजनैतिक दलों पर दफा १०७ और ११७ का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह उनके अधिकारो का हनन किया जा रहा है। आप सोशलिस्ट

पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य विरोधी राजनैतिक पार्टियों को गैर-कानूनी तो नहीं करार देते हैं लेकिन आप इन पार्टियों के सदस्यों को दफा १०७ में गिरफ्तार कर लेते हैं और ऐसा करके आप उनको बोलने की आजादी को छीनते हैं, उनके लिखने की आजादी को छीनते हैं और उनकी सभाएं करने की आजादी को छीनते हैं। उनके जो मौलिक अधिकार हैं व्यक्ति स्वातंत्र्य के, उन अधिकारों को आप छीनते हैं। आज यह अधिकार इसलिए छीने जाते हैं क्योंकि न्यायालयों में आज स्टीन ही डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम इस बात की चुनौती दे सकते कि हमारी गिरफ्तारी सही है या जायज है और जिन कारणों से हुई है वह कारण सही है या गलत तो शायद इस तरीके से दफा १०७ का इस्तेमाल नहीं कर पाते। दफा १०७ के चलते हुए इस माननीय सदन के सदस्य दफा १०७ में बाउंड हैं। अब चूंकि हम लोग मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार के विरुद्ध हैं और उस की नीतियों का विरोध कर के उस की जगह पर हम नई नीतियां लाना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर दफा १०७ के अन्दर हम लोगों को बाइंड डाउन किया जाता है तो क्या यह उस का बेजा इस्तेमाल नहीं करना है? मुझे तो जब कुछ माननीय सदस्य यहां पर खड़े हो कर बड़े जोर से कहते हैं कि दफा १०७ का रहना बहुत जरूरी है तो बड़ा आश्चर्य और हैरानी होती है। मैं तो यह मानता हूं कि जो दफा मैजिस्ट्रेट को इस बात का हक देती है कि वह बिना किसी आब्जेक्टिव टैस्ट के उस का धड़ल्ले से इस्तेमाल करे और जिस में कि मैजिस्ट्रेट को विहिम्बकल पावर्स दे दी गई हैं और जिस से कि वह उस का नाजायज तौर पर इस्तेमाल कर सकता हो, उस दफा १०७ को एक मिनट के लिये भी कानून की किताब में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिये। इस दफा १०७ के मातहत मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि जिस तरह गरीब किसानों को हैरेज किया जाता है। उन को ३०, ३० और ४०, ४० मील की दूरी से हेडक्वार्टर पर सुनवाई के लिये तलब किया जाता है और दिन भर के बाद शाम को कह दिया जाता है कि तुम्हारे केस में तारीख पड़ गई अब फलां तारीख को फिर हाजिर होना और इस तरह से उन बेचारों की यह मैजिस्ट्रेट्स ४०, ४० और ५०, ५० पेशी लगाते हैं। किस्सा मुख्तसर यह कि उन को बहुत परेशान किया जाता है और मैजिस्ट्रेट्स लोग कहते हैं कि यह दफा १०७ है ही इसलिये कि खूब लोगों को परेशान करो और खूब तारीखें दो और इस तरह परेशान हो कर वे लोग अपने आप बैठ जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आज पुलिस को जो आप ने अधिकार दे रक्खा है, वह उस अधिकार का नाजायज तौर पर इस्तेमाल करती है और छोटे छोटे मामलों में जिन में कि उस को दफा १०७ की रिपोर्ट नहीं करनी चाहिये, सिर्फ इस वजह से कि वह किसी से नाखुश है नाराज है इसलिये उस के खिलाफ १०७ में रिपोर्ट कर देती है। आज सारे उत्तर प्रदेश के गांवों में दफा १०७ का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है और उस को देखने वाला और रोकने वाला कोई नहीं है। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है उस ने तो हर तरीके के नियमों का उल्लंघन किया है। जो मौजूदा उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री महोदय हैं अब उन के बारे में मैं क्या कहूं और दूसरे वे इस सदन के अन्दर मौजूद भी नहीं हैं। उन के सम्बन्ध में तो बहुत कुछ बातें उत्तर प्रदेश की विधान सभा में उठ खड़ी हुई हैं। अब मौजूदा सरकार उस की जांच भी नहीं कराना चाहती। खैर वह न कराये लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जैसी वर्तमान हालत है और ला एंड आर्डर की जैसी हालत है उस में जिस नाजायज तरीके से विरोधी दलों को दबाने के लिये

[श्री प्रा० ना० सिंह]

और उन को कुचलने के लिये इन दफाओं का इस्तैमाल किया जा रहा है उस की कोई इन्तिहा नहीं हो सकती ।

इसी के साथ मैं दफा १०९ की जो शब्दावली है उस की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिस में दर्ज है कि अगर किसी शख्स का कोई जरिया माश मालूम न होता हो तो उस को दफा १०९ के मातहत गिरफ्तार कर के बन्द किया जा सकता है । अब आप समझ सकते हैं कि भारत जैसे गरीब देश में जिस की कि ४० करोड की आबादी में से करीब ७ करोड लोग ऐसे अवश्य होंगे जिन को कि काम नहीं के बराबर होगा और जिन का कि खाने पीने का और जरिया माश नहीं के बराबर होगा, तो ऐसे देश के अन्दर पुलिस को १०७, १०९ और ११७ के असीमित अधिकार देना चाहते हैं कि वह जिसे भी चाहे १०९ के अन्दर गिरफ्तार कर ले इस तरह के असीमित अधिकार आप के लिये पुलिस को देना कहां तक उचित होगा ? हम को तो आजादी की लडाई के जमाने में भी जेल में रहने का मौका मिला और स्वाधीन भारत में भी जेल में रहने का मौका मिला और मैं बिला शक कह सकता हूं कि उस जमाने की १०९ दफा में और आज जिस तरह से १०९ दफा का इस्तैमाल किया जा रहा है, उस में जमीन आस्मान का फर्क दिखाई देता है । हम देखते हैं कि दफा १०९ में कैसे लोगों को पकडा जाता है और जाहिर है कि वे गरीब लोग कहां से साल भर का मुचलका दें । उन के पास जीविका कमाने का कोई साधन नहीं है और उन को जीविका चलाने के लिये कुछ काम धंधा दिया जाय, यह तो आप करेंगे नहीं लेकिन चूंकि किसी के पास काम धंधा नहीं इसलिये उसे दफा १०९ में बन्द कर दिया । अगर पुलिस दारोगा किसी गरीब आदमी से नाराज हो गया तो उसे उठा कर १०९ में बन्द कर दिया । दफा १०९ के अन्दर जेल में जाने के बाद वह बेचारे गरीब और सीधे सादे लोग जब वहां से बाहर निकलते हैं तो अभियोग और जुर्म करना सीख कर बाहर निकलते हैं । यह याद रखने की बात है कि जेल जाते समय वह बिल्कुल सीधे सादे और निर्दोष होते हैं, उन के पास जीविका कमाने का साधन नहीं होता और जाहिर है कि अगर उन के लिये कुछ काम दिया जाये तो वह मेहनत कर के अपनी जीविका कमाना चाहते हैं, ऐसे निर्दोष और सीधे सादे व्यक्ति जेल में रह कर अभियोग सीख लेते हैं और बाहर एक मुजरिम की शकल में निकलते हैं । दफा १०९ का इतना बुरा इस्तैमाल हो रहा है जिस की कि कोई इन्तिहा नहीं । मैं समझता हूं कि यह १०७, १०९, ११० और ११७ दफायें, हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकारों की मंशा है, उन मौलिक अधिकारों पर हमला करने की दफायें हैं उन पर चोट पहुंचाने वाली दफायें हैं और जिन के कि कारण आज हजारों लोगों पर जुल्म हो रहा है और उसी के साथ साथ मौजूदा सरकारी पार्टी द्वारा इस देश की विरोधी राजनीतिक पार्टियों के हक भी छीने जा रहे हैं । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि दफा १०७, १०९ और ११० के इस्तैमाल पर सोच विचार होना चाहिये और फौजदारी के विधान से इन दफाओं को निकाल देना चाहिये । मैं उम्मीद करता हूं कि जब माननीय मंत्री जवाब देंगे तो वे इस बात को बतलायेंगे कि राजनैतिक आन्दोलनों के दरमियान में इधर दो सालों के बीच में कितने हजार लोगों पर इस दफा १०७ का इस्तैमाल हुआ चाहे वे उत्तर प्रदेश के हों चाहे वे दूसरे सूबे के हों । अब अगर दफा १०७ के नाजायज इस्तैमाल से हजारों लोगों के मौलिक अधिकारों को छीना हो तो ऐसी हालत में इस दफा १०७ का जारी फौजदारी में एक मिनट के लिये भी रहना मुनासिब नहीं है । इसलिये माननीय अवस्थी जी ने जो यह प्रस्ताव रक्खा है कि दफा १०७, १०८, १०९ और ११७ को फौज-

बारी विधान से निकाल दिया जाय, मैं उस का पूर्णतया समर्थन करता हूं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि कम से कम लोक-तंत्र और जम्हूरियत के नाम पर कुछ तो मंत्री महोदय के दिल पर असर होगा और इस सम्बन्ध में सोच विचार कर के कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे ।

Shri Datar: Sir, this Bill has been brought forward for a two-fold purpose: one is the omission of certain sections from the preventive provisions of the Code of Criminal Procedure, and the other is an explanation to section 161 So far as these two matters are concerned, I should like to deal with them independently or separately because they deal with separate situations

Before I deal with the points raised by hon Members, may I say one thing? The hon. Mover had some months ago brought forward a similar Bill for the purpose of deleting section 144 from the Code of Criminal Procedure At that time he took an extreme stand and he even attacked the Constitution But I am very happy that this time the hon Mover has been showing some regard for the provisions of the Constitution So that itself is a great improvement so far as my hon friend is concerned

श्री जगदीश अवस्थी मैंने कानन की पुस्तक का पन्ना फाड़ा था, संविधान नहीं फाड़ा था ।

I respect the Constitution as much as the Minister does.

Shri Datar: I would not like to refer to something that happened then If I remember correctly, my hon friend wanted to burn a copy of the Constitution.

Shri Braj Raj Singh: No, no He tore that page from a copy of the Code of Criminal Procedure (*Interruptions*).

Shri Datar:....And the hon. Chairman who was in the Chair.....

Shri Braj Raj Singh: He never said that. (*Interruptions*) You can ask hon. Members.

Shri Datar: And the hon. Chairman who was in the Chair, either the Deputy-Speaker or somebody else. .

Shri Narayanankutty Menon: Nobody said anything about the Constitution

Shri Datar: Let the hon. Member wait What he did say was this. It had to be pointed out to him that he cannot deal with the Constitution in this manner

Shri Jagdish Awasthi: No, no; not the Constitution (*Interruptions*).

Shri Datar: I am very happy this time—I was almost amused to find that this time the hon Mover has started swearing by the Constitution in the sense . (*Interruptions*).

Shri P. N. Singh: On a point of information, Sir When the hon. Member has already given the information to the hon Minister that he did not utter that thing, the hon. Minister is going on repeating and repeating that very thing .....

Shri Datar: I am not repeating anything I would request the hon. Member to wait I am prepared to correct myself if it is wrong. I remember and I speak quite correctly that he was stopped when he made certain references....(*Interruptions*).

Mr. Chairman: May I just request the hon. Minister not to harp upon that because the hon. Member has said he did not say so

Shri Datar: I am harping on the happy change in the bon Member (*Interruptions*).

Shri Narayanankutty Menon: May I point out, Sir, that to accuse an hon Member .....

Shri Datar: ...And I congratulate him

Shri Narayanankutty Menon: On a point of order, Sir.

Mr. Chairman: I have requested the hon. Minister not to repeat it.

Shri Datar: I am not repeating it

Mr. Chairman: It is a matter of record; it can be controverted

Shri Narayanankutty Menon: I want to raise a point of order whether it is proper for an hon Minister to accuse an hon. Member of this House that he wanted or attempted to burn the Constitution which is an act of treason He must withdraw it (*Interruptions*).

Shri Braj Raj Singh: The records can be referred to and it can be found whether he wanted to burn the Constitution

Mr Chairman: Anyhow the hon Minister has said that if he is wrong he will correct himself

Shri Datar: Naturally, I shall correct myself

Shri Braj Raj Singh: He must withdraw his remarks

Mr Chairman: Anyhow at this moment the record is not before us What he said may be wrong (*Interruptions*)

Shri Datar: If it is wrong I am prepared to correct But I am relying upon my memory

Shri Jagdish Awasthi: I did not say that; I still say I did not say that

Shri Datar: I am not making a further reference But my hon friend made such gestures that the gestures themselves were not proper (*Interruptions*).

Shri Easwara Iyer (Trivandrum): On a point of order, Sir... .

श्री ब्र० ना० सिंह वह संविधान नहीं था, वह तो दफा १४४ का पन्ना था ।

श्री जगदीश अवस्थी . मैं ने कानून की पुस्तक का पन्ना फाड़ा था, संविधान का नहीं यह आप को मालूम होना चाहिये ।

Shri Easwara Iyer: On a point of order, Sir A Member is supposed to take an oath that he will live up to the traditions of the Constitution Now to accuse a Member without any basis is a very serious thing. If he says that if it is incorrect he will withdraw, it is no extenuating circumstance He must produce the record because I was present here when the hon Member said that section 144 should be torn away from the Criminal Procedure Code and not any offence against the Constitution. (*Interruptions*)

Mr. Chairman: Anyhow I have got notice of that. I shall examine the records (*Interruptions*) In the meantime I would request the hon. Minister

Shri Datar: And I am prepared to assure the House that if my memory is wrong (*Interruptions*)

Shri Narayanankutty Menon: Your memory is wrong

Shri Datar: And I remember the hon Member did say that If he has not said that I am prepared to withdraw

Shri Jagdish Awasthi: You are totally wrong (*Interruptions*)

Shri Datar: I shall acept it for the time being.

Shri Jagdish Awasthi: Withdaw it withdraw it.

Shri Datar: I would not like to refer to this particular thing

Mr. Chairman: I have already ruled and asked the hon. Minister not to refer to that.

Shri Keshava (Bangalore City) The records may be sent for and verified.

Shri Jagdish Awasthi: You can consult the record. I am ready to face the consequences Let the records come (*Interruptions*).

Shri Datar: In fact I myself raised the objection.

Shri Narayanankutty Menon: Let the hon Minister continue, in the meantime the records may come If on verification of the records it is found that the allegation the hon. Minister is making, that is, accusing an hon Member of an act of treason, is wrong, certainly, he should unconditionally withdraw what he has said. (*Interruptions*).

Shri Datar: I have stated I am going to be fair I have stated that if what I have said is not correct I shall certainly withdraw it There is no dispute at all (*Interruptions*) But it has to be found out whether it is correct In fact, if I remember aright, I myself raised the objection and it was withheld

Mr. Chairman: When it is a matter of record, that record may be looked into later on But if hon Members insist, I can bring it now if it is just near at hand

Shri Datar: I have no objection.

Mr Chairman: But before that why should there be this altercation, an affirmation from one side and a denial from the other In other words, we are going away from the subject of the debate Let us continue the debate that is before us. In the meantime, I will get the record.

Shri Datar: I am prepared to abide by what you say, so far as this matter is concerned, after going into the record. May I point out that this time the hon. Member has suggested that this amendment is in accordance with the Constitution? The Constitution has given certain Fundamental Rights to the citizens. It is true But they are subject to certain reasonable restrictions which have been made clear It is not good to go on merely saying that there is in this particular case a violation of the Constitution or of the Fundamental Rights. It is entirely wrong I would invite your attention to article 19(2)

> "Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interest of the security of the State public order "

These are the two expression, among others, which are used—public order and security—and from this point of view we have to adjust the provisions in the Criminal Procedure Code

Shri Braj Raj Singh: May I point out to the hon Minister that article 19(1)(a) relates to the freedom of speech and expression . (*Interruptions*)

Shri Datar: Hon Members dealt with only the so-called action against political prisoners, they did not bring in the other matters at all In fact this extreme position was taken that behind the exercise of such powers, there is a political view May I correct the hon Member so far as this view is concerned? In the Criminal Procedure Code we have two types of provisions One deals with the actual commission of the offence Thereafter, the man has to be proceeded against, either punished or if he is not guilty, he has to be acquitted These are the sections which deal with the actual commission of offences But there are certain cases where prevention is far better and more effective than cure and therefore, action has to be taken so far as three matters are concerned . (*Interruptions*) Let the hon. Members wait. I did not interfere in any manner with them when they spoke The first point is the mainten-

[Shri Datar]

ance of law and order. Let not that matter be dealt with in a light manner Unless we have absolute peace, unless order has properly kept, unless laws are properly respected, there would be no society at all and it would be very difficult to carry on the work of administration or even our private life My hon friend was perfectly right in saying that he is entitled to certain facilities as a citizen of India We have to allow the exercise of private rights, they are allowed in a peaceful manner without interruption and without obstruction from certain other persons who are unsocially minded Therefore, public tranquillity has to be maintained at all costs Secondly breach of the peace has to be avoided

And, lastly, may I point out . (*Interruptions*) I am not yielding I shall complete my arguments I have heard the hon Member intently

So far as the third is concerned, as I have pointed out, there are wrongdoers who have to be checked even before they commit the offences, and the opportunities have to be taken away from them That is the reason why in these sections prevention is more important than a subsequent cure, or what may be called a post mortem dealing with the particular matter. This is the object for which the preventive section has been in the Criminal Procedure Code for long After the Constitution was passed and it came into force—it is now more than nine years—the propriety, the legality or the constitutionality of these sections has not been challenged in any court High Court or Supreme Court Under these circumstances we have to take into account the facts as they are.

I can understand the argument that in some cases dealing with political matters there are some complaints or grounds for complaint. I am prepared to understand that, and I am prepared to look into them. And we shall request the State Governments to see whether there has been any irregularity. My hon. friends used extreme expressions like 'abuse', 'misuse' and various other expressions. But so far as these things are concerned, let hon. Members understand, as my hon. friend Shri Tangamani pointed out quite rightly, that there are checks and counter-checks But here I shall point out that these are the sections which deal naturally with certain preventive action Now, the preventive action is taken on behalf of the administration, but it is subject to the judicial approval of a magistrate. Let that matter be understood very clearly We do not take away either the liberty or the property of any person, but we place the case before the magistrate And, secondly, there is a regular enquiry It is a judicial proceeding And after the enquiry and after evidence has been taken, you will find that the orders passed in respect of these matters are subject to appeal That matter has been entirely forgotten by hon Members here And then a reference has been made to sessions judge in the other amendment They refer to the district judge in the sense of a sessions judge practically That is what the hon Member has practically in view. Under these circumstances, before the sessions judge there is an appeal in respect of matters about which action has been taken under section 107, 109 or 110 What more guarantee can there be?

I can understand hon Members saying that they have no faith in the police, but some hon Members were quite fair enough in saying that they have faith in the sessions judge (*Some Hon. Members*: Yes) That is what they have stated, and I am very happy I am grateful to the hon Members for having said so But may I point out that the magistrates are subject, so far as the judicial work is concerned, to the control of the sessions judge?

Shri P. N. Singh: No no. That is not the position.

Shri Datar: So far as judicial control is concerned—I have purposely used the expression, not administrative control, but judicial control—they are subject to the control of the sessions judge, and whenever anything wrong is done, naturally the sessions judge is there May I point out that magistrates also are judicial officers, and whenever anything is done by a magistrate, then surely appeals can lie, revision petitions can lie, even to the High Court also in appropriate cases Therefore, this is a grave and effective safeguard against what is called the abuse of powers

Secondly, my hon friend Shri Tangamani was rather apologetic He said that there are *goonda* , that there are vagabonds May I point out that there have to be certain sections under which action has to be taken against *goondaism* and against vagabondism? If there are, unfortunately, some persons as there are naturally action has to be taken against him It is only for these purposes and I would not deal further with this particular point

But may I say that all this action has to be taken provided the provisions have been satisfied? If the provisions have not been satisfied then it is open to the Magistrate, it is open to the higher judicial authorities, to dismiss the case for a security That point should not be forgotten at all Therefore, that is the greatest security against the abuse of any power so far as the security sections are concerned

My hon friend, Shri Naldurgkar was perfectly right in saying that in one case where action was not taken this omission was felt, in the sense that four murders took place I myself know of a number of cases where immediate action which was necessary was not taken and within a few days a murder or murders have taken place Therefore, let us not, may I point out in all humility to my hon friends, in our anxiety to bring in political considerations, break at the foundations of the law

Criminal law is essential so long as there are people with criminal propensities or with criminal record or antecedents Therefore, it is absolutely essential to take action against such persons even before they have actually carried out their nefarious purpose. In fact, the object is to check, to nip in the bud, whatever otherwise they would have done I would, therefore, submit to my hon friends, that so far as these sections are concerned they are meant for meeting certain very important situations which are otherwise likely to worsen the situation itself

Now I shall deal with the political considerations It was contended by him that in certain cases certain persons were proceeded against and they were not well treated In that case, may I point out that it was open to the persons aggrieved to have gone up to have gone before the Appellate Court before the High Court also And I would invite hon Members to find out in how many percentage of cases an accused has been told

Shri Naravanankutty Menon: Sir, I do not want to interrupt the hon Minister, but I may say that in almost all the cases when security proceedings are taken, warrants are issued and security bonds are executed for one year, the final orders are passed after two or three years You will find that in a majority of cases final orders have been issued after expiry of the period of interim bond

Shri Datar My hon friends are generalising from what I may call, with due deference to all, very scanty material It is quite likely that in a small number of cases, say one in a hundred cases or, perhaps, one in a thousand cases—after all, human nature is there and sometimes we act over zealously—it might have been so The number is very rare because of two circumstances One is that a provision has been made for a judicial interference at higher quarters; and, secondly, may I also tell the hon Member, whenever there are any adverse comments made against the

[Shri Datar]

conduct or omission of a police officer in the course of judicial proceedings, Government do take into account whatever has been stated. They look into the matter, they examine it from all points of view, and when it is found that the conduct of a police officer was not correct then, naturally action is taken against him. Therefore, it is not that Government are anxious to shield all police officers or shield or screen all actions.

Mr. Chairman: Order, order. I think the hon. Minister is likely to take some more time.

Shri Datar: Yes.

Mr. Chairman: Then the Mover will also take some time for his reply. It is already six o'clock now. The hon. Minister may continue on the next appropriate day.

18 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 17, 1959/Sravana 26, 1881 (Saka).